

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:


Original Application No. 55/2025/EZ

NEWS ITEM TITLED: 5 JHARKHAND FOREST OFFICERS ATTACKED BY STONE
MAFIA, APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 24.03.2025

...Applicant(s)

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Additional Affidavit filed by District Magistrate and District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, Jharkhand.	1 - 8
2.	Verification	9-10
3.	ANNEXURE - A	11 - 28
4.	ANNEXURE - B	29 - 36
5.	ANNEXURE - C	37
6.	ANNEXURE - D	38-102
7.	ANNEXURE - E	103-118

**AISHWARYA RAJYASHREE**

Advocate

Bar Association Room No. 5,

High Court, Calcutta

Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,

Kolkata: 700001.

(M)9874995669

Email: advaish.hc@gmail.com

99711B2265


252

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 55/2025/EZ



NEWS ITEM TITLED: 5 JHARKHAND FOREST OFFICERS ATTACKED BY STONE MAFIA, APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 24.03.2025

...Applicant(s)

4381
Book No. 69 SL No. 97.02.2026.
Date

ADDITIONAL AFFIDAVIT FILED BY OF DISTRICT MAGISTRATE AND DISTRICT MINING OFFICER, PALAMU, JHARKHAND (i.e. RESPONDENT NOS. 2 AND 4 HEREIN).

I, Sunil Kumar, son of Shri Kunwar Mahto, aged about 38 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, having its office at _____ Office of the District Mining Officer, District - Palamu _____, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am the District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, (i.e. Respondent No. 4 herein) and that I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions in the Original Application as such I am competent to make and affirm the instant Affidavit for myself and the Respondent No. 2 herein. Also, I am duly authorized to do so by the Deputy Commissioner, Palamu, Jharkhand (i.e. Respondent No. 2 herein).
2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.



X

3. That in pursuance and in compliance to the order dated 14.10.2025 of the Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Additional Affidavit is being filed by Respondent nos. 2 and 4 of the Original Application.
4. That this additional affidavit is being filed in compliance of above direction, the answering respondents would like to submit following facts and action which has been taken by the competent authority:-

- i. To prevent illegal mining and transportation of minerals in Palamu district, temporary checkpoints are operational at 27 locations across 9 circles, Magistrates have been deployed at these checkpoints. The functioning of these checkpoints and related actions is reviewed periodically at the district level through meetings of the District Mining Task Force.

A photocopy of the above details is annexed herewith and marked as Annexure – A.

- ii. To prevent illegal sand mining, trench cutting has been carried out at 20 locations by members of the Mining Task Force to stop the illegal extraction of sand. Moreover, 29 nos. of watchmen have been deployed for the monitoring and supervision of these trenches.

A photocopy of the above details is annexed herewith and marked as Annexure – B.

- iii. Through office letter number 802, dated 05.04.2025, the data on vehicles passing through the Hariharganj toll plaza under NHAI was obtained, and a total of 19 vehicles involved in illegal transportation



X

have been blocked on the JIMMS portal to prevent recurrence of illegal transportation.

A photocopy of the above details is annexed herewith and marked as Annexure – C.

- iv. A meeting of the District Mining Task Force is held regularly every month at the district level. This meeting is chaired by the Deputy Commissioner, Palamu, and is attended by the Superintendent of Police, Palamu, Divisional Forest Officer, Additional Collector, Palamu, all Sub-Divisional Officers, all Sub-Divisional Police Officers, District Transport Officer, District Mining Officer, Regional Officer, JSPCB, Factory Inspector, all Circle Officers, and all Police Station in-charge as members.
- v. The Deputy Commissioner, Palamu, conducts a detailed review of the actions taken against illegal mining, transportation, and storage of minerals with all the members and issues necessary directives.
- vi. Since April 2024, a total of 19 Task Force meetings has been held. These are as follows:

Sl. No.	Date of Meeting	Proceeding letter No.	Date
1	30.05.2024	1156	01.06.2024
2	28.06.2024	1414	04.07.2024
3	26.07.2024	1613	31.07.2024



X

4	29.08.2024	1816	31.08.2024
5	26.09.2024	2018	28.09.2024
6	21.10.2024	2294	22.10.2024
7	04.12.2024	2713	05.12.2024
8	30.01.2025	190	01.02.2025
9	28.02.2025	374	03.03.2025
10	28.03.2025	787	28.03.2025
11	25.04.2025	970	26.04.2025
12	11.06.2025	1595	12.06.2025
13	17.07.2025	1893	19.07.2025
14	12.08.2025	2048	13.08.2025
15	12.09.2025	2218	13.09.2025
16	16.10.2025	2379	17.10.2025
17	14.11.2025	2758	21.11.2025
18	29.12.2025	3071	29.12.2025
19	22.01.2026	234	28.01.2026



X

A photocopy of the above details is annexed herewith and marked as Annexure – D.

- vii. The action taken by the Task Force members against illegal mining, transportation, and storage are as follows:-

F/Y	Total Inspection	No. of seized vehicle	Quantity of seized mineral	No. of FIR	Amount Collected (in Lakh)
2024-25	767	618	6098.75	41	202.48
2025-26	516	305	7694.13	45	163.43

- viii. Further, it is humbly stated and submitted that the factory licenses for the crushers operating in the district are issued by the Factory Inspector.

A photocopy of the above details of all such Factory License is annexed herewith and marked as Annexure – E.



5. Surprise inspections of these crushers and the vehicles involved in mineral transportation are conducted by the members of Task Force time to time and action is taken accordingly. If any irregularities are found, punitive action is taken as per the rules.
6. Further, it is humbly stated and submitted that storage of minor minerals, the dealer registration certificate is granted under "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules,

X

2017" as notified by the Department of Mines and Geology. The terms and conditions already prescribed in this certificate (Form-B) shall remain applicable, which are as follows:


- A. The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- B. The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- C. The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- D. The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- E. The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- F. No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- G. This license is being issued based on self-attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or



X

wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per rule.

7. It is humbly stated and submitted that, the mineral storage holders shall submit online monthly returns in the prescribed format for each month, containing details of purchase, processing, sale, and storage of minerals. These details are verified from time to time by the mining inspectors of the office during site inspections.
8. Moreover, it is humbly stated and submitted that during inspection, if violation of the above conditions or any irregularity is found, the dealer registration is suspended or terminated under Rule-8 of "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017". From the financial year 2024-25 till date, a total of 57 dealer registrations has been cancelled after investigation due to detection of irregularities under the said rules.
9. That from the facts stated hereinabove, it is evident that all possible and stringent measures have been taken by the district administration to prevent illegal mining, transportation, and storage of minerals in Palamu District, strictly in accordance with law and as per the directions of this Hon'ble Tribunal.
10. That this Counter Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant Additional Affidavit.
11. That the answering respondent seeks leave to file any further affidavits, if required, as per direction of the Hon'ble Tribunal.



✕

12. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 3 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 4 to 8 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.

1
Sup
05/02/2026
(Dmo, Palamu)



X

VERIFICATION

I, Sunil Kumar, son of Shri Kunwar Mahto, aged about 38 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of District Mining Officer, Palamu, Jharkhand, having its residence at Vill - Sandh, P.S. - Barkagaon, District - Hazaribagh, Jharkhand is filing this instant Additional Affidavit on this the ____ day of February, 2026.

Date: 05/02/2026

Place: Daltonganj

Sunil Kumar
05/02/2026

(Sunil Kumar)
DMD, Palamu

Identified by me: *R.K. Singh*
Ranjit Kumar Singh 17/02/26
(L-290/07) Advocate
Civil Court Medininagar
Advocate

THE DEPONENT Mr/Mrs *Sunil Kumar*
Who is identified by *Ranjit Kumar Singh*
Advocate who appeared
before me and *swear* on oath that the
contents of *Affidavit*
his *Affidavit*
true & correct to the best of his *knowledge*
and belief.

07/02/2026
19/02/2026
S. K. Sharan
Notary Palamu





पत्र (AFFIDAVIT)

[Large handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature]
S. K. Sharan
Notary Palamou

क्रमांक- 1/B 2265



पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज

[Signature]
महासचिव

[Signature]
कोषाध्यक्ष


[Signature]
अध्यक्ष

[Small handwritten mark]

Temporary Checkpost established by District Administrative in different place as Below


SI No	Letter No and dated	Order issued by	Place	No of Magistrate dupted	Current Status
1	Letter N0-499 Dated -23.04.2025	SDO Chhatarpur	Inter State chekpost as Hariharganj Police Station	9	Working
2	Letter N0-957 Dated -06.08.2025		Danwamorph Pipra	9	Working
3	Letter N0-733 Dated -15.10.2025	DC Palamu	1. Dangwar 2. Deori 3. Barepur 4. Pathra 5. Pansa 6. Parta 7. Kolhua 8. Viridhwar 9. Untari road 10. Karkata	10	Working

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamu




No	Letter No and dated	Order issued by	Place	No of Magistrate dupted	Current Status
4	Letter N0-86 Dated -18.02.2025	CO Untari Raod	1. Malwaria 2. Checharia 3. Sidha 4. Joga 5. Nawgarh Satbahini 6. PandeyPura	6	Working
5	Letter N0-62 Dated -19.02.2025	CO Haidernaga	1. kabrakala 2. Sajwan Salempur	2	Working
6	Letter N0-161 Dated -18.02.2025	CO Patan	1. Sole 2. Hisra Barwadih 3. Asnaur	3	Working

17/02/2025
Attested
S.K. SHARAN
Notary Patan




No	Letter No and dated	Order issued by	Place	No of Magistrate dupcted	Current Status
7	Letter N0-522 Dated -18.06.2025	CO Nilamber Pitamber	1. Banua 2. Sangbar 3. Juru 4. Jaitukharh 5. Itahe 6. Hartua 7. Khairat 8. Oria 9. Sahad	4	Working
8	Letter N0-77 Dated -18.02.2025	CO Manatu	1. Karela River 2. Madheya River	4	Working
9	Letter N0-505 Dated -12.08.2025	CO Panki	1. Garhganw 2. Near Block Road Jarhi Chowk More 3. Police Station Checknaka	3	Working



18/06/2025
S.K. SHARMA
Notary Patnamu

Sl. No	Letter No and dated	Order issued by	Place	No of Magistrate dupated	Current Status
10	Letter N0-152 Dated -18.02.2025	CO Bishrampur	1. Rehla Sand Ghat 2. Sigsigi Sand Ghat 3. Rehla Pul 4. Lalgah Sand Ghat 5. Sabona (Near Ghordih River)	5	Working

17/02/2025
 S.K. SHARMA
 Notary Patanahar





कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू।

संशोधित आदेश

उपायुक्त, पलामू के आदेश झापांक-938/एम0, दिनांक-07.05.2023 के कंडिका 4 में दिये गये निदेश के आलोक में पलामू जिला अंतर्गत खनिज परिवहन की नियमित जाँच के लिए विमर्शानुसार पलामू जिला के हरिहरगंज प्रखण्ड अंतर्गत धाना के सामने स्थित अंतर राज्तीय चेक पोस्ट पर चेकनाका स्थापित की जाती है तथा निम्नांकित रूप में आज दिनांक-23.04.2025 से अगले आदेश तक के लिए दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति तिथि के अनुसार रोस्टरवार की जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि जाँच से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में प्रत्येक दिन अंचल अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ग्रुप-क

क्र० सं०	दंडाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1- A	श्री विद्यया सागर, कनिय अभियंता 15 वे वित, हरिहरगंज प्रखण्ड।	7368987975	
2- B	श्री अजित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग, हरिहरगंज प्रखण्ड।	9065520361	
3- C	श्री संतोष उरॉव, राजस्व उप निरीक्षक, हरिहरगंज अंचल।	8434941973	

ग्रुप-ख

क्र० सं०	दंडाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1- D	श्री मुखदेव राम, पंचायत सचिव, हरिहरगंज प्रखण्ड।	6207941392	
2- E	श्री दिपक कुमार, कनीय अभियंता, प्रखण्ड हरिहरगंज।	8789471513	
3- F	श्री मुकेश कुमार, बीपीएम, ISLPS हरिहरगंज प्रखंड।	8580135398	

ग्रुप-ग

क्र० सं०	दंडाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1- G	श्री प्रियंका प्रकाश, राजस्व उपनिरीक्षक, हरिहरगंज अंचल।	9523543643	
2- H	श्री कुलदीप कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत।	8574103378	
3- I	श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत।	8709933624	

समय सारणी:-रोस्टर

तिथि	6:00 AM to 2:00 PM	2:00 PM to 10:00 PM	10:00 PM to 6:00 AM
23.04.2025	श्री विद्यया सागर, कनीय अभियंता, 15 वे वित हरिहरगंज प्रखण्ड (A)	श्री अजित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग, हरिहरगंज प्रखंड (B)	श्री संतोष उरॉव, राजस्व उप निरीक्षक, हरिहरगंज अंचल (C)
24.04.2025	श्री मुखदेव राम, पंचायत सचिव, हरिहरगंज प्रखण्ड (D)	श्री दिपक कुमार, कनीय अभियंता, प्रखण्ड हरिहरगंज (E)	श्री मुकेश कुमार, बीपीएम, JSLPS हरिहरगंज प्रखंड (F)
25.04.2025	श्री प्रगती प्रकाश, राजस्व उपनिरीक्षक, हरिहरगंज अंचल (G)	श्री कुलदीप कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत (H)	श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत (I)
26.04.2025	श्री संतोष उरॉव, राजस्व उप निरीक्षक, हरिहरगंज अंचल (C)	श्री विद्यया सागर, कनीय अभियंता, 15 वे वित हरिहरगंज प्रखण्ड (A)	श्री अजित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग, हरिहरगंज प्रखण्ड (B)
27.04.2025	श्री मुकेश कुमार, बीपीएम, JSLPS हरिहरगंज प्रखंड (F)	श्री मुखदेव राम, पंचायत सचिव, हरिहरगंज प्रखण्ड (D)	श्री दिपक कुमार, कनीय अभियंता, प्रखण्ड हरिहरगंज (E)
28.04.2025	श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत (I)	श्री प्रगती प्रकाश, राजस्व उपनिरीक्षक, हरिहरगंज अंचल (G)	श्री कुलदीप कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत (H)
29.04.2025	श्री अजित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग, हरिहरगंज प्रखण्ड (B)	श्री संतोष उरॉव, राजस्व उप निरीक्षक, हरिहरगंज अंचल (C)	श्री विद्यया सागर, कनीय अभियंता, 15 वे वित हरिहरगंज प्रखण्ड (A)
30.04.2025	श्री दिपक कुमार, कनीय अभियंता, प्रखण्ड हरिहरगंज (E)	श्री मुकेश कुमार, बीपीएम, JSLPS हरिहरगंज प्रखंड (F)	श्री मुखदेव राम, पंचायत सचिव, हरिहरगंज प्रखण्ड (D)
01.05.2025	श्री कुलदीप कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत (H)	श्री सुबोध कुमार, कनीय अभियंता, हरिहरगंज नगर पंचायत (I)	श्री प्रगती प्रकाश, राजस्व उपनिरीक्षक, हरिहरगंज अंचल (G)

(इसी तरह कमवार तिथिनुसार अगले आदेश तक)

थाना प्रभारी, हरिहरगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त चेक पोस्ट पर समुचित संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, हरिहरगंज उक्त चेक पोस्ट के तृतीय प्रभार में रहेंगे। इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-478 दिनांक-21.04.2025 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी -सह-
अनुमण्डल पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

23.04.25

ज्ञापांक.....499....., दिनांक.....23.04.25.....

प्रतिलिपि:- संबंधित दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रभारी, हरिहरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, हरिहरगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर प्रत्येक दिन समय 11.00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हरिहरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधितों को पत्र का तामिला अपने स्तर से आज ही कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि:- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, छत्तरपुर पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- उपायुक्त, पलामू/पुलिस अधीक्षक, पलामू की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी -सह-
अनुमण्डल पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

23/4/25



कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू

268

आदेश

उपायुक्त -सह- अध्यक्ष, जिला खनन टस्क फोर्स की अध्यक्षता में दिनांक-17.07.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन ज्ञापांक-1893/ एम0, दिनांक-19.07.2025 के द्वारा कंडिका/पारा-4 में उल्लिखित अंचल क्षेत्र में अवस्थित खनन पट्टों से परिवहन कर रहे वाहनों की नियमित जांच हेतु अस्थाई चेकनाका बनाकर दण्डाधिकारी की तैनाती हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी, पीपरा के पत्रांक-226 दिनांक-31.07.2025 के परिप्रेक्ष्य में पीपरा अंचल अंतर्गत दनवा मोड़ पर अस्थाई चेकनाका निर्माण हेतु स्थल घयन के राय दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उक्त के आलोक में उपरोक्त अस्थाई चेकनाका हेतु दिनांक-11.8.2025 से अगले आदेश तक के लिए दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति तिथि के अनुसार रोजरवार की जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि जांच से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में प्रत्येक दिन अंचल अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ग्रुप-क

क्र० सं०	दंडाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1- A	श्री सर्जुन राम, प्र.प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पीपरा प्रखण्ड।	7033802688	
2- B	श्री अमित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग विभाग, पीपरा प्रखण्ड।	9065520351	
3- C	श्री विकास कुमार सिंह, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड।	7319675390	

ग्रुप-ख

क्र० सं०	दंडाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1- D	श्री गुड्डू कुमार, कनीय अभियंता 15वें वित्त, पीपरा प्रखण्ड।	9708714618	
2- E	श्री योगेन्द्र राम, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड।	8809267557	
3- F	श्री प्रविद्ध उरॉव, राजस्व उपनिरीक्षक -सह- प्र० अंचल निरीक्षक, पीपरा अंचल।	8757015884	

ग्रुप-ग

क्र० सं०	दंडाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1- G	श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड कार्यकर्म पदाधिकारी, (शिक्षा विभाग) पीपरा प्रखण्ड।	9431789689	
2- H	श्री कमलेश प्रसाद, BPM पीपरा प्रखण्ड।	6299709127	
3- I	श्री रीशज कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक,	7541055880	

12/08/25



Signature of S.K. Sharan, Notary Palamu

समय सारणी:-रोस्टर

269

तिथि	6:00 AM to 2:00 PM	2:00 PM to 10:00 PM	10:00 PM to 6:00 AM
11.08.2025	श्री सर्जुन राम, प्र.प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पीपरा प्रखण्ड (A)	श्री अमित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग विभाग, पीपरा प्रखण्ड (B)	श्री विकास कुमार सिंह, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड (C)
12.08.2025	श्री गुड्डू कुमार, कनीय अभियंता 15वें वित्त, पीपरा प्रखण्ड (D)	श्री योगेन्द्र राम, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड (E)	श्री प्रविन्द उर्खे, राजस्व उपनिरीक्षक -सह- प्र० अंचल निरीक्षक, पीपरा अंचल (F)
13.04.2025	श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा विभाग) पीपरा (G)	श्री कमलेश प्रसाद, BPM पीपरा प्रखण्ड (H)	श्री रौशन कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक, पीपरा अंचल (I)
14.08.2025	श्री विकास कुमार सिंह, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड (C)	श्री सर्जुन राम, प्र.प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पीपरा प्रखण्ड (A)	श्री अमित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग विभाग, पीपरा प्रखण्ड(B)
15.08.2025	श्री प्रविन्द उर्खे, राजस्व उपनिरीक्षक -सह- प्र० अंचल निरीक्षक, पीपरा अंचल (F)	श्री गुड्डू कुमार, कनीय अभियंता 15वें वित्त, पीपरा अंचल (D)	श्री योगेन्द्र राम, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड (E)
16.08.2025	श्री रौशन कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक, पीपरा अंचल (I)	श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा विभाग) पीपरा (G)	श्री कमलेश प्रसाद, BPM पीपरा प्रखण्ड (H)
17.08.2025	श्री अमित कुमार, प्रखण्ड समन्वयक, लघु कुटीर उद्योग विभाग, पीपरा प्रखण्ड(B)	श्री विकास कुमार सिंह, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड (C)	श्री सर्जुन राम, प्र.प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पीपरा प्रखण्ड (A)
18.08.2025	श्री योगेन्द्र राम, पंचायत सचिव, पीपरा प्रखण्ड (E)	श्री प्रविन्द उर्खे, राजस्व उपनिरीक्षक -सह- प्र० अंचल निरीक्षक, पीपरा अंचल (F)	श्री गुड्डू कुमार, कनीय अभियंता 15वें वित्त, पीपरा अंचल (D)
19.08.2025	श्री कमलेश प्रसाद, BPM पीपरा प्रखण्ड (H)	श्री रौशन कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक, पीपरा अंचल (I)	श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, पीपरा प्रखण्ड (G)

(इसी तरह कमवार रोस्टयानुसार/तिथिनुसार अनवरत अगले आदेश तक)

थाना प्रभारी, पीपरा को निदेश दिया जाता है कि उक्त चेक पोस्ट पर समुचित संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
अंचल अधिकारी, पीपरा उक्त चेक पोस्ट के वरीय प्रभार में रहेंगे।

ह

अनुमण्डल दण्डाधिकारी -सह-
अनुमण्डल पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

ज्ञापांक.....१५७....., दिनांक...०६...८...०२५

प्रतिलिपि:-संबंधित दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-थाना प्रभारी, पीपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पीपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधितों को पत्र का तामिली अपने स्तर से आज ही कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-अंचलाधिकारी, पीपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्राप्त प्रतिवेदन को सप्ताहवार समेकित कर निश्चित रूप से प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, छत्तरपुर पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश है कि उक्त अस्थाई चेकनाका स्थल दमवा मोड़ पर पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु थाना प्रभारी को अपने स्तर से भी निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-उपायुक्त, पलामू/पुलिस अधीक्षक, पलामू की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

०६/८/२५

अनुमण्डल दण्डाधिकारी -सह-



कार्यालय; जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त, पलामू। (गोपनीय शाखा)

पुरमाष सं०- 06502-224033 (का)/224044 (आ)

mail ID- dc-palamu.in

आदेश

विश्वरत सूत्रों के माध्यम से अधोहरताक्षरी को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जिला के विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित बालू घाटों से बालू का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु उक्त बालू घाटों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण आवश्यक है। इसमें अधिकांश शिकायतें हुसैनाबाद अनुमण्डल अंतर्गत स्थित बालू घाटों से प्राप्त हो रही हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति में हुसैनाबाद अनुमण्डल एवं सदर अनुमण्डल अन्तर्गत निम्नांकित चिन्हित क्षेत्रों से बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने तथा उसकी जाँच हेतु निम्नांकित निरीक्षण दल को स्टैटिक दण्डाधिकारी/दल के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है -

क्र०	प्रखण्ड/ अंचल का नाम	स्थल का नाम जहाँ बालू घाट अवस्थित है	स्टैटिक दण्डाधिकारी का पदनाम	मोबाईल नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	हुसैनाबाद	दंगवार	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद प्रभारी दंगवार ओ०पी०।	9835514768
02	हुसैनाबाद	देवरी	अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद प्रभारी देवरी ओ०पी०।	7781961798
03	हुसैनाबाद	बड़ेपुर	कार्यपालक दण्डाधिकारी, हुसैनाबाद। थाना प्रभारी, हुसैनाबाद।	9576508631
04	हुसैनाबाद	पथरा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद थाना स्तर से एक स०अ०नि०	7461894377
05	मोहम्मदगंज	पंशा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहम्मदगंज। थाना प्रभारी, मोहम्मदगंज।	8340697737
06	हैदरनगर	परता	अंचल अधिकारी, हैदरनगर। थाना प्रभारी, हैदरनगर।	8340417801
07	मोहम्मदगंज	कोल्हुआ	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर हैदरनगर थाना से एक स०अ०नि०	7544989551
08	मोहम्मदगंज	बीरघवर	श्री सखीचन्द दास, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मोहम्मदगंज। मोहम्मदगंज थाना से एक स०अ०नि०	7033255884



Attested
S.K. SHARAN
Notary Public

00	कैंटारी रोड	कैंटारी रोड	प्रसन्न गिफारा पदाधिकारी कैंटारी रोड।	9939561902
10	कैंटारी रोड	कश्कदुला	शाना प्रभारी, कैंटारी रोड। अंगल अभियन्ता, कैंटारी रोड। मोहम्मदगंज थाना से एक रा0आ0नि0	9931678255

श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता, खान निरीक्षक एवं पलामू श्री युगम कुमार, खान निरीक्षक, पलामू उपरोक्त दल के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए बालू घाटों के निरीक्षण में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त गठित निरीक्षण दल को यह निदेश दिया जाता है कि वे वर्णित स्थलों में अवस्थित बालू घाटों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए छापागारी अभियान का संचालन करते रहेंगे एवं बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


उपर्युक्त स्थलों से अन्यत्र जगहों पर परिवहन किये जा रहे अवैध बालू आदि के जाँच हेतु निम्नांकित स्थलों पर चेकपोस्ट का निर्माण करते हुए पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है -

स्थापित चेकपोस्ट का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम		
	<u>Shift A</u> (From 06.00 am to 02.00 pm)	<u>Shift B</u> (From 02.00 pm to 10.00 pm)	<u>Shift C</u> (From 10.00 pm to 06.00 am)
भीमबराज के पास (मोहम्मदगंज)	श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियन्ता, मनरेगा (मो0-7505706959)	श्री परवेज आलम, राजस्व उप निरीक्षक, मोहम्मदगंज (मो0-6203611996)	श्री वरुण कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, मोहम्मदगंज (मो0-9472725283)
पथरा (हुसैनाबाद)	श्री यशवन्त कुमार, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, हुसैनाबाद। (मो0-9570200994)	श्री जय गोविन्द यादव, बी0टी0एम0, हुसैनाबाद (मो0-9934657435)	श्री विपिन कुमार, कनीय अभियन्ता, (मो0-9304424880/ 6299753906)
दंगवार (हुसैनाबाद)	श्री सोनु सोनल, कनीय अभियन्ता मे0-8252952806	श्री कल्याण प्रसाद, प्रखण्ड समन्वयक। मे0-7974808520	श्री चन्द्रशेखर दुबे, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, हुसैनाबाद। मे0-7004505061

चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने निर्धारित समयावधि में चेकपोस्ट पर उपस्थित रहकर अवैध बालू के परिवहन के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुए उसके परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई का साप्ताहिक प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर एवं हुसैनाबाद उपर्युक्त सभी कार्यों का सतत पर्यवेक्षण अपने स्तर से करते हुए बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, पलामू अपने स्तर से गठित निरीक्षण दल -सह- स्टैटिक पदाधिकारियों के साथ संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस बल को तथा अधिष्ठापित चेक पोस्टों पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
पलामू।


प्रतिलिपि :- झापांक 733 / मो0 दिनांक 15/10/2025
सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।




S.K. SHARAN
Notary Palamu

- प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित रागी थाना प्रभारी एवं ओ०पी० प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद/हैदरनगर/मोहम्मदगंज/ऊँटारी रोड एवं अंचल अधिकारी, पदाधिकारी, हुसैनाबाद/हैदरनगर/मोहम्मदगंज/ऊँटारी रोड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद/विश्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर एवं हुसैनाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/10/2018
उपस्थित,
पलामू।



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

कार्यालय - अंचल अधिकारी ऊंटारी रोड पलामू 273

पत्रांक- 86 / दिनांक- 18 / 02 / 2025



उपायुक्त,
पलामू।

Task force file
18/02/25

विषय :- अवैध बालू खनन प्रेषण पर रोक लगाने हेतु ट्रेच कटिंग एवं बैरिकेटिंग करने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-240/एम0, दिनांक-13.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है, कि अंचल कार्यालय, ऊंटारी रोड अन्तर्गत अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगाने हेतु निम्नरूपेण रात्री में चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न स्थलों पर कि जाती है।


विहित प्रपत्र

क्र०	कार्यालय	प्रतिनियुक्त चौकीदार का नाम	प्रतिनियुक्ति स्थल	अभियुक्ति
1	ऊंटारी रोड	श्री छटु पासवान	मलवरिया	देवी मंडप के पास
2		श्री दिनेश राम	ग्राम चंचरिया	रा0उत्क0मध्य विद्यालय के पास
3		श्री उमेश राम	सिडहा	रा0उत्क0मध्य विद्यालय के पास
4		श्री सत्येन्द्र राम	जोगा	स्त्रोन्नत उच्च विद्यालय के पास
5		श्री विनय राम	नवगढ़ (सतबहिनी)	पंचायत भवन के पास
6		श्री सुरेश राम	पाण्डेपुरा के	लालामोड के पास

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

18/02/25
अंचल अधिकारी
ऊंटारी रोड।



S.K. SHARAN
Notary Palamu

कार्यालय आदेश

दिनांक 30.01.2025 को आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए निदेश एवं उपायुक्त, पलागू के पत्रांक 240/एम0दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन में हैदरनगर अंचल अन्तर्गत ग्राम राजवन सलेगपुर एवं कवरा कला में सोन नदी से अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु वैरिकोटिंग करके निगरानी रखने के लिए निम्नलिखित चौकीदार को अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है। जो निम्नवत है:-

क्र०सं	नाम	पदनाम	प्रतिनियुक्त स्थल	अभ्युक्ति
01	सुरेश राम	चौकीदार	कवरा कला	
02	दिनेश पासवान	चौकीदार	सजवन सलेमपुर	

उक्त के आलोक में प्रतिनियुक्त चौकीदार को आदेश दिया जाता है कि अवैध बालू एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखेंगे एवं इसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी एवं थाना प्रभारी, हैदरनगर को नियमित रूप से देंगे।

ETO
अंचल अधिकारी,
हैदरनगर।



ज्ञापांक.....69...../दिनांक.....19/02/2025

प्रतिलिपि: संबंधित चौकीदार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: थाना प्रभारी, हैदरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

अंचल अधिकारी,
हैदरनगर।
19/02/2025



275

कार्यालय:- अंचल अधिकारी, पाटन (पलामू)

Email ID- copatan123@gmail.com

आदेश

उपायुक्त पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2025 को आयोजित खनन टास्क फोर्स की बैठक में नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु नदी की ओर जाने वाले रास्तों में यथा संभव ट्रेंच कटिंग कर अनिवार्य रूप से बैरिकेटिंग करके अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु निदेशित किया गया है। उक्त के आलोक में आप सभी को निम्नांकित बालू घाटों के बैरिकेटिंग स्थल पर कड़ी निगरानी रखने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि अवैध खनन एवं बालू घाटों से संबंधित जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र० सं०	पंचायत का नाम	बालू घाट का नाम	प्रतिनियुक्त चौकीदार का नाम	अभ्युक्ति
01	शोले	शोले	श्री अखिलेश कुमार तिवारी 2/15	
02	हिसरा बरवाडीह	हिसरा बरवाडीह	श्री गणेश सिंह 2/14	
03	लोईगा	असनौर	श्री शुभम तिवारी 4/43	

ह०/-

अंचल अधिकारी,
पाटन।

ज्ञापांक161...../दिनांक 18/02/25.

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चौकीदार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- थाना प्रभारी पाटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। निदेश है कि सभी संबंधित चौकीदारों को अपने स्तर से प्रतिनियुक्त की सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अंचल अधिकारी,
पाटन।



Notary Seal of S.K. Sharan



कार्यालय अंचल अधिकारी, नीलाम्बर-पीताम्बरपुर।

आदेश

अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर के पत्रांक 350/गो0 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जिला माइनिंग टास्क फोर्स की सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेशानुसार इस अंचल अन्तर्गत खनन स्थल/बालू घाटों के अवैध उत्खनन/उठाव रोकने हेतु निम्नानुसार से दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने आवंटित क्षेत्र अन्तर्गत अवैध उठाव/उत्खनन रोकने हेतु चेकनाका का निर्माण कराते हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा प्रतिदिन कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0	मौजा का नाम	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	बनुवा	श्री रितेश रंजन तिवारी	
2	सांगबार	राजस्व उप निरीक्षक	
3	जुरू	श्री रणविजय ठाकुर	
4	जैतुखाड	राजस्व उप निरीक्षक	
5	इटहे		
6	हरतुआ	श्री शंकर सिंह अंचल अमीन	
7	खैराट	श्रीमति ज्योत्सना आभा कुजुर	
8	ओरिय	राजस्व उप निरीक्षक	
9	शाहद		

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु रहेगा।

ज्ञापांक 522 दिनांक 18/06/2025

प्रतिलिपि:- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी, को सूचनार्थ एवं अनुपालनाथ प्रेषित।
अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अंचल अधिकारी,
नीलाम्बर पीताम्बरपुर।

अंचल अधिकारी
नीलाम्बर पीताम्बरपुर।



कार्यालय: अंचल अधिकारी, मनातू, पलामू।

Email ID- comanatu2024@gmail.com

आदेश

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 240/एम0, दिनांक 13.02.2025 के द्वारा अवैध बालु घाट, परिवहन एवं भंडारण के रोक थाम एवं सतत्त निगरानी हेतु निदेश प्राप्त है। बालु घाटों के पहुच पथ पर ट्रंच कटिंग कर बैरिकेटिंग किया गया है जिस पर चौकीदार की नियुक्ति हेतु निदेश प्राप्त है। उक्त के अलोक में निम्नांकित स्थलों पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाती है जो निम्नवत् है:-

क्र0सं0	स्थल का नाम	प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम	अभ्युक्ति
1	करैला नदी	पिन्दु कुमार (दफादार)	
2		कमोद कुमार बिट सं0- 1/9	नव नियुक्त चौकीदार
3	मधेया नदी	राजीव रंजन बिट सं0- 1/8	नव नियुक्त चौकीदार
4		नन्देव राम बिट सं0- 1/15	

उक्त सभी कर्मी को आदेश दिया जाता है कि अवैध परिवहन एवं सतत्त निगरानी रखते हुए अद्योहस्ताक्षरी/थाना प्रभारी को खैरियत प्रतिवेदन देगें एवं अपनी उपस्थिति का फोटो भेजेगें।

“अति महत्वपूर्ण”

[Signature]
अंचल कार्यालय,
मनातू।

ज्ञापांक...../दिनांक.....18.02.2025

- प्रतिलिपि :- उपरोक्त सभी चौकीदार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- थाना प्रभारी, मनातू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि संबंधित चौकीदार को प्रतिनियुक्ति स्थल पर भेजना सुनिश्चि करेगें एवं प्रतिनियुक्त चौकीदार पर निगरानी रखेगें।
 प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर को सूचनार्थ समर्पित।
 प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 प्रतिलिपि :- उपायुक्त महोदय, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

[Signature]
अंचल कार्यालय,
मनातू।





278

कार्यालय: अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू।

Email ID:- copanki2@gmail.com

पत्रांक.....505..... / दिनांक...12.09.2025.....

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
पांकी।

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव,
जिला खनन टास्क फॉर्स, पलामू।

विषय:-

अवैध बालू खनन के रोकथाम हेतु चौकीदार / दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति के संबंध में।


महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पांकी अंचल अन्तर्गत अस्थाई चेकनाका स्थल की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	स्थल का नाम	प्रतिनियुक्त चौकीदार/ दण्डाधिकारी का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	गढगांव	खुशीद आलम (रा०उ०नि०) राजेन्द्र प्रसाद 4/39	अस्थाई चेकनाका पर
2	ब्लॉक रोड जरही चौक मोड़	मनोज पासवान 1/1	नियमित जांच हेतु।
3	पांकी थाना चेकनाका	महावीर प्रसाद (रा०उ०नि०)	नियमित जांच हेतु दण्डाधिकारी

सादर सूचानार्थ।


विश्वासभाजन,


अंचल अधिकारी,
पांकी।


ज्ञापांक.....505..... / दिनांक.....12.08.2025.....

प्रतिलिपि- थाना प्रभारी पांकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर को सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित।


अंचल अधिकारी,




S.K. SHARAN
Notary Palamu



कार्यालय अंचल अधिकारी, विश्रामपुर (पलामू) 279

—कार्यालय आदेश—

उपायुक्त, पलामू के आदेश पत्रांक 240/एग0, दिनांक 13.02.2025 के द्वारा बालू घाटों पर अवैध खनन/परिवहन पर रोक लगाने हेतु बैरिकेटिंग एवं चौकीदारों की प्रतिनियुक्त करने का निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में विश्रामपुर अंचल अन्तर्गत निम्नवत् चौकीदारों की प्रतिनियुक्त संबंधित बालू घाटों पर किया जा रहा है। जो कि निम्नवत् है —

क्र०सं०	चौकीदार का नाम	बालू घाटों का नाम/स्थल	अभ्युक्ति
1	श्री मुन्ना मांझी	रेहला बालू घाट (पाठे)	
2	श्री निरंजन राम	सिगरसिगी (बालू घाट)	
3	श्री विनोद पासवान	रेहला पूल के पास	
4	श्री रामनाथ पासवान	लालगढ़ बालू घाट	
5	श्री नागेन्द्र राम	सबौना (घोरडीहा नदी के पास)	

अतः उपरोक्त के आलोक में सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि आवंटित बालू घाटों पर सतत् निगरानी करते हुए बालू के उठाव पर रोक लगाते हुए, अवैध बालू उत्खनन से संबंधित सूचना अद्योहस्ताक्षरी एवं संबंधित थाना प्रभारियों को देना सुनिश्चित करेंगे।

इसे अति आवश्यक समझे।

28/02/25
अंचल अधिकारी,
विश्रामपुर।



ज्ञापाक152...../दिनांक 18/02/2025

प्रतिलिपि :

प्रतिनियुक्त चौकीदारों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :

थाना प्रभारी, विश्रामपुर/रेहला/नौगढ़ा ओ०पी० प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :

जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :

उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau


28/02/25
अंचल अधिकारी,
विश्रामपुर।

(29)

Details of trench cutting at Palamau District to Prevention illegal sand Mining

SI No	Letter No and Date	Order Issued By	Place	Remarks
1	Letter No -128 Dated-17.02.2025	CO Husainabad	All Sand Ghat Husainabad	
2	Letter No -295 Dated-03.11.2025	CO Pipra	All Sand Ghat Husainabad	
3	Letter No -168 Dated-19.02.2025	CO Patan	Village Loiya, (Asnor Balu Ghat)	
4	Letter No -445 Dated-20.02.2025	CO Lesliganj	Near Banua Balughat	
5	Letter No -88 Dated-18.02.2025	CO Untari Road	1. Chenchria 2. Sirha	
6	Letter No -65 Dated-20.02.2025	CO Haidernagar	Sajwan Salempur Near Son River	

Attested by
 S.K. SHARMA
 Notary Palamau
 Palamau District
 Jharkhand





3X

281

कार्यालय अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू।

Email co-hussaln-palamu@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 128

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
हुसैनाबाद।

सेवामें,

जिला खनन पदाधिकारी
पलामू।

विषय :-

अवैध बालू खनन एवं प्रेषण पर रोक लगाने हेतू ट्रेंच कटिंग एवं बैरिकेटिंग करने के संबंध में।

हुसैनाबाद, दिनांक 12/02/25

प्रसंग :-

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 240/ख0, दिनांक 13.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि दिनांक 30.01.2025 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन में नदियों से अवैध बालू के खनन पर रोक लगाने हेतू नदी की ओर जाने वाले रास्तों में यथा संभव ट्रेंच कटिंग कर अनिवार्य रूप से बैरिकेटिंग करके चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जानी है। जिससे बालू का अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकें।


अतः निदेशानुसार हुसैनाबाद अंचल अन्तर्गत निम्नांकित कारवाई की गयी है :-

- हुसैनाबाद को तीन जोन में बांटा गया है
(क) दंगवार एवं बड़ेपुर क्षेत्र - दिनांक 01 तारीख से 10 तारीख के बीच बालू घाटों का निरीक्षण ओपी0 प्रभारी, दंगवार के साथ मिलकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
(ख) देवरी, बुधुआ एवं सोनपुरवा क्षेत्र - दिनांक 11 तारीख से 20 तारीख के बीच ओपी0 प्रभारी देवरी के साथ मिलकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
(ग) छतरपुर जपला मार्ग पथरा एवं नगर पंचायत क्षेत्र दिनांक 21 तारीख से 30 तारीख के बीच थाना प्रभारी हुसैनाबाद के साथ मिलकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

सभी बालू घाटों में वर्तमान में ट्रेंच कटिंग किया गया है।

बिंदु 2 बालू घाटों यथा बड़ेपुर, देवरीकला एवं दंगवार (सोन नदी) में अवैध बालू के खनन पर रोक लगाने हेतू रोस्टर के अनुसार चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो निम्नवत है :-

- बड़ेपुर एवं दंगवार बालू घाट - 1. रितेश कुमार, चौकीदार मो0 सं0 9085868983
2. आकाश कुमार, चौकीदार मो0 सं0 8709818341
- देवरी कला घाट - 1. पप्पु कुमार यादव चौकीदार, मो0 सं0 7091338826
2. मिथलेश कुमार पासवान, चौकीदार, मो0 सं0 9693176899
- पथरा सबानो कररवार घाट - 1. कमलेश यादव चौकीदार मो0 सं0 7808577580
2. अक्षय कुमार, चौकीदार मो0 सं0 8434546827



S.K. SHARAN
Notary Palamu

4. ग्रेड 2 बालू घाटों यथा बड़ेपुर में देवी मंदिर के पास, देवरीकला में देवरीखुद्र चौक तथा दंगवार क्षेत्र में बाजार चौक एवं सूर्य मंदिर के पास सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाकर निगरानी किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व में एक प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद के माध्यम से भेजी गयी है।

5. औचक निरीक्षण के दौरान प्रत्येक माह औसतान 05 से 06 अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए वाहन जप्त कर झारखण्ड खनिज समानुदान नियमावली 2004 के तहत कारवाई हेतु अघोहस्ताक्षरी द्वारा पत्राचार किया गया है।


विश्वासभाजन

[Signature]
अंचल अधिकारी 17/02/25
हुसैनाबाद।


ज्ञापांक 128 / दिनांक 17/02/25

- प्रतिलिपि :- धाना प्रभारी, हुसैनाबाद, ओ0पी0 प्रभारी देवरी, ओ0पी0 प्रभारी, दंगवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

[Signature]
अंचल अधिकारी 17/02/25
हुसैनाबाद।



[Signature]
17/02/25
Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou



अंचल अधिकारी का कार्यालय, पीपरा, पलामू।

पत्रांक... 245...../दिनांक 3/11/25...

अंचल अधिकारी,
पीपरा ।

उपायुक्त,
पलामू ।

विषय :- अवैध बालू खनन एवं प्रेषण पर रोक लगाने हेतु ट्रेज कटिंग एवं डेरिकेटिंग करने संबंध में।

परसंग :- भवदीय पत्रांक 240 / एम10 दिनांक 13.02.2025
लहाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पीपरा अंचल अंतर्गत अवैध बालू खनन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मांग राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से किया गया । जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पीपरा अंचल में किररी भी तरह का बालू वाट अवस्थित नहीं है ।

भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

विश्वरत्नभोजन

(Signature)
3/11/25

अंचल अधिकारी,

पीपरा ।
3/11/25

(Handwritten mark)



(Handwritten signature)
17/02/2026

Notary
S.K. SHARAN
Palampur Palamu



कार्यालय:- अंचल अधिकारी, पाटन (पलामू)

उपायुक्त पलामू

Email ID- copatan123@gmail.com

ज्ञापांक 168 दिनांक 19/02/25

Task free file

Sup 05/03/2025

प्रेषक,
20 FFE अंचल अधिकारी,
पाटन।
सेवा अंचल नगज

उपायुक्त
पलामू।

विषय:- अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु ट्रेंच कटिंग एवं बैरिकेटिंग करने के संबंध में।

प्रसंग:- उपायुक्त के पत्रांक 240/एम0 दिनांक 13.02.2025


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 30.01.2025 को आयोजित खनन टास्क फोर्स की बैठक में नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु नदी की ओर जाने वाले रास्तों में यथा संभव ट्रेंच कटिंग कर अनिवार्य रूप से बैरिकेटिंग करके अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त के आलोक में ग्राम पंचायत लोईगा (असनौर) के बालू घाट के नदी की ओर आने जाने वाले रास्तों में ट्रेंच कटिंग करा दी गई है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वसभाजन
19/2
अंचल अधिकारी
पाटन।



Attested
S K SHARAN
District Patna

(X)

285

जापांक-445...../2025

लेस्लीगंज थाना, पलामू

दिनांक- 20/02/2025

Task force file

Sup
05/13/2025

सेवा में, (B)

उपायुक्त -सह-जिला दण्डाधिकारी महोदय,
डाल्टनगंज, पलामू

प्रसंगा-2-FEE 2025 भवदीय का कार्या0 प्रत्रांक-240/ एम0, दिनांक- 13.02.2025

विषय - अवैध बालू खनन एवं प्रेषण पर रोक लगाने हेतु ट्रेंच कटिंग एवं बैरिकेटिंग करने के संबंध में।
डाल्टनगंज

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर पूर्वक कहना है, भवदीय का कार्या0 प्रत्रांक-240/ एम0, दिनांक- 13.02.2025 के आदेश के आलोक में दिनांक- 20.02.2025 को सशस्त्र बल एवं सौरभनन्द प्रधान , सहायक अंचल , नीलाम्बर-पीताम्बरपुर, पलामू के समक्ष ग्राम- बनुआ बालू घाट नदी की ओर जाने वाली रास्ते पर जे0सी0बी0 के द्वारा अवैध बालू के खनन रोक लगाने हेतु ट्रेंच कटिंग किया गया और अनिवार्य रूप से बैरिकेटिंग करके स्थानीय चौकीदरों को निगरानी हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है तथा अन्य बालू घाटों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

अतः श्रीमान को सादर सूचनाार्थ




विश्वासभाजन

20.02.2025

थाना प्रभारी

लेस्लीगंज थाना, पलामू।



9/2/25
13/02/2025

Notary Palamu



कार्यालय -अंचल अधिकारी ऊँटारी रोड पलामू

पत्रांक-...../दिनांक-...../2025

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
ऊँटारी रोड, पलामू।

सेवा में ,

उपायुक्त,
पलामू।

विषय:- अवैध बालू खनन प्रेषण पर रोक लगाने हेतु ट्रेच कटिंग करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है, कि भवदीय पत्रांक-240/एम0, दिनांक-13.02.2025 के आलोक में दिनांक-18.02.2025 को नदियों से अवैध बालू उठाने के मार्ग पर ग्रान चेचरिया एवं सिडहा बालू उठाव स्थल कोयल नदी पर 2(दो) जगहो पर ट्रेच कटिंग किया गया।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
ऊँटारी रोड।

[Handwritten Signature]
18/02/25



17/02/25

Palamu

कार्यालय अंचल अधिकारी, हैदरनगर। 287

Email-cohaldernagar@gmail.com

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
हैदरनगर।

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू।

D.O.
Task force file
Sup
04/03/2025

विषय :- अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु ट्रेंच कटिंग एवं बैरिकोटिंग करने के संबंध में।

प्रसंग:- उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 240/एम0दिनांक13.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक सादर सूचित करना है कि अंचल हैदरनगर अन्तर्गत अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु ग्राम सजवन सलेमपुर में सोन नदी की ओर जानेवाली रास्ता में ट्रेंच कटिंग की गई है एवं चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

अतः सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

हो

अंचल अधिकारी,
हैदरनगर, पलामू।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक.....65.....दिनांक.....20/02/2025
अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/03/2025
अंचल अधिकारी,
हैदरनगर, पलामू।



Attested
S.K. SHARAN
Palamu



झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

e-mail :- dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक:- 802

दिनांक:- 05-04-25

प्रेषक:- जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,
श्री रत्नेश शुक्ला,
प्रभारी NHAI, टोल प्लाजा,
हरिहरगंज, पलामू।

विषय:- पिछले छः माह में NHAI के टोल प्लाजा से परिवहन किये गये वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- उपायुक्त महोदय द्वारा जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 26.09.2024 में दिए गए निर्देश।

महाशय,

उपरोक्त विषय सूचित करना है कि पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज में NHAI के द्वारा टोल प्लाजा संचालित है। उक्त टोल प्लाजा के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में क्रसरों एवं पत्थर खदानों से स्टोन चिप्स की ढुलाई बिहार राज्य के लिए की जाती है। उक्त सभी वाहन आपके टोल प्लाजा से गुजरते हैं। उपायुक्त महोदय द्वारा जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उक्त टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों एवं उन पर लदे खनिजों के संबंध में जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि पिछले छः माह में दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक उक्त टोल प्लाजा से बिहार की ओर परिवहन किये गये स्टोन चिप्स लदे सभी वाहनों की सभी सूची तिथिवार समय के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

क्रम संख्या	तिथि	वाहन संख्या	गुजरने का समय	अभियुक्ति

विश्वसभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।



S.K. SHARAN
Notary Palamau

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2024 को सम्पन्न अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया :-

पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत समीक्षा करते हुए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया।

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के अपर समाहर्ता, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा जिला खनन कार्यालय में अंकेक्षण किये जाने के क्रम में पाया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन की स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में बिना हॉल सर्वे के अधिसूचना के ही प्रतिवेदन हॉल सर्वे के अनुसार दिया जा रहा है, जिसे पूर्णतः अवैध बताया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन के संदर्भ में गत सर्वे अथवा अधिसूचना होने की स्थिति में हॉल सर्वे के अनुसार प्रतिवेदन देंगे। गत सर्वे में भूमि का किस्म जगल-झाड़ी होने की दशा में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के संबंधित पदाधिकारी)

2. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत अवैध रूप से हो रहे अवैध खनन/परिवहन/भंडारण न हो इस संबंध में विशेष निगरानी रखे, साथ ही जहाँ कहीं भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो तो त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन प्रत्येक माह के एक पक्ष के अंदर जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् जिला खनन पदाधिकारी, पलामू प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू)

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिलान्तर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिजों का अवैध खनन/परिवहन/भंडारण नहीं हो के संबंध में निगरानी बनाये रखे तथा खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के स्थिति में कृत कार्य में संलिप्त व्यक्ति/वाहन/वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

Attorney
S.K. SHARMA
Notary Public

4.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मानसून काल में माननीय NGT के आदेश व खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि में किसी भी परिस्थिति में बालूघाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 ds Appendix Table-9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है। वर्तमान में Category-1 के कुल 73 बालूघाट चिन्हित है, जिससे पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा बालू का उठाव किया जाना है। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा बालूघाट का संचालन सुचारु रूप से दिनांक 09.06.2024 तक करते हुए सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं कार्यान्वयन, निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य आदि के लिए बालू का उठाव सुनिश्चित करें, साथ ही कार्यालय ज्ञापांक 1205/एम0, दिनांक 05.06.2023 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिबंधित अवधि यथा 10.06.2024 से 15.10.2024 तक की अवधि में किसी भी नदी से किसी भी परिस्थिति में बालू का अवैध उठाव हेतु जिला खनन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर निगरानी बनाये रखेंगे तथा अपने अधिनस्थ क्रमशः अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू

5.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत संचालित खनन पट्टों/खनिज विक्रेता निबंधन के बावत झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद से निर्गत परिचालन सहमति (CTO) में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन खनन पट्टाधारियों/खनिज विक्रेता निबंधनधारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं के संबंध में नियमित जांच करते हुए खनन पट्टावार/खनिज विक्रेता निबंधनवार सप्ताहिक Action Taken Report (ATR) प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) को अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई :- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची)

6.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी/वनरक्षी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने अंचल/थाना अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण न हो के संबंध में विशेष छापामारी करते हुए निगरानी बनाये रखेंगे। इस तरह के मामला प्रकाश में आने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधिनस्थ अंचलवार सप्ताहिक प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसे जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू



S.K. SHARAN
Notary Palamau

7. जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू को उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत खनिज के ढुलाई/खनन कार्य में उपयोग किये जा रहे वाहनों/मशीनों का नियमानुसार निबंधन संख्या प्राप्त कर वाहनों/मशीनों में नम्बर प्लेट लगाकर खनिज का ढुलाई/खनन कार्य किया जा रहा है या नहीं के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू नियमित जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में पूर्व में भी जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सम्पन्न बैठकों में आपको निदेशित किया गया है।

(कार्रवाई :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू)

8. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/संबंधित अंचल अधिकारी एवं संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के रोकथाम हेतु सप्ताहिक बैठक करते हुए अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों/वनरक्षी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त बैठक अनुमण्डल पदाधिकारी अपने स्तर से आहूत करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी/सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी)

9. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद एवं संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अनुमण्डल अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिज का अवैध खनन, परिवहन भंडारण का कार्य न हो के संबंध में प्रतिदिन छापामारी हेतु विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए Action Taken Report (ATR) प्रतिदिन आगामी कार्य दिवस को 10:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आप सभी अवगत है कि खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड अधिसूचना संख्या 31, दिनांक 08.11.2007 यथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (संशोधन), नियमावली, 2007 के नियम 57 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा आप प्राधिकृत है तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1273/एम0सी0, दिनांक 28.07.2010 द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण इत्यादि की रोकथाम की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्धारित की गयी है। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त Action Taken Report (ATR) का जिला खनन पदाधिकारी, पलामू समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/ हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन/परिवहन/भंडारण पर अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय, एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)



9/10/2017
SHARAN
Notary Palamu

4.

11. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय/जनता दरबार एवं अन्य श्रेतों से प्राप्त शिकायत वादों का निष्पादन ससमय करें।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई एवं उक्त निदेश के आलोक में अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

हृ

उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक.....1156...../एम०, दिनांक.....01-06-2024.....।


प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू/सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



21/06/2024

S.K. SHARAN
District Palamou

3
31/05/24

उपायुक्त,
पलामू।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को सम्पन्न अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की आर्नेलाईन बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया :-

पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन/परिवहन/ भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत समीक्षा करते हुए उपायुक्त-सह- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया।

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के अपर समाहर्ता, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा जिला खनन कार्यालय में अंकेक्षण किये जाने के क्रम में पाया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन की स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में बिना हॉल सर्वे के अधिसूचना के ही प्रतिवेदन हॉल सर्वे के अनुसार दिया जा रहा है, जिसे पूर्णतः अवैध बताया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन के संदर्भ में गत सर्वे अथवा अधिसूचना होने की स्थिति में हॉल सर्वे के अनुसार प्रतिवेदन देंगे। गत सर्वे में भूमि का किस्म जंगल-झाड़ी होने की दशा में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अंचलवार खनन पट्टा की सूची संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के संबंधित पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

2. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिलान्तर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिजों का अवैध खनन/परिवहन/भंडारण नहीं हो के संबंध में निगरानी बनाये रखे तथा खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के स्थिति में कृत कार्य में संलिप्त व्यक्ति/वाहन/वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् प्राप्त कृत प्रतिवेदन को जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत अवैध रूप से हो रहे अवैध खनन/परिवहन/भंडारण न हो इस संबंध में विशेष निगरानी रखे, साथ ही जहाँ कहीं भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो तो त्वरित कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रत्येक माह के एक पक्ष के अंदर जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व की बैठक में निदेश दिया गया था, परन्तु अंचलवार/थानावार प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उपायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अवैध खनन/परिवहन/भंडारण से संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व माहवार यथा अप्रैल 2024 से जून 2024 तक जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् जिला खनन पदाधिकारी, पलामू प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू)

4. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मानसून काल में माननीय NGT के आदेश व खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि यथा 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 में किसी भी परिस्थिति में बालूघाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के Appendix Table-9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है। वर्तमान में Category-1 के कुल 73 बालूघाट चिन्हित है, जिससे पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा था। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा संचालित बालूघाट का संचालन किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित अवधि में न हो, इसका अनुपालन संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बालू का अवैध उठाव हेतु जिला खनन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर निगरानी बनाये रखेंगे तथा अपने अधिनस्थ क्रमशः अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

अवैध रूप से भंडारित बालू लघु खनिज पाये जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी अवैध रूप से भंडारित बालू को जप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय को सूचित करेंगे। तदोपरांत जिला खनन पदाधिकारी, पलामू जब्त बालू की निलामी नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी)

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत संचालित खनन पट्टों/खनिज विक्रेता निबंधन के बावत झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद से निर्गत परिचालन सहमति (CTO) में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन खनन पट्टाधारियों/खनिज विक्रेता निबंधनधारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं के संबंध में नियमित जांच करते हुए खनन पट्टावार/खनिज विक्रेता निबंधनवार Action Taken Report (ATR) माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक अगली बैठक के अक्षर रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (कार्रवाई :- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची)



3.

6. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी/ वनरक्षी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने अंचल/थाना अंतर्गत किररी भी परिस्थिति में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण न हो के संबंध में विशेष छापागारी करते हुए निगरानी बनाये रखेंगे एवं अंचल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक करेंगे। इस तरह के मामला प्रकाश में आने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी अपने अधिनस्थ अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों/वनरक्षी द्वारा अंचलवार कार्रवाई की समीक्षा अनुमण्डल स्तरीय खनन टास्क फोर्स बैठक में करेंगे, साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तरीय कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसे जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी)

7. जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू को उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत खनिज के दुलाई/खनन कार्य में उपयोग किये जा रहे वाहनों/मशीनों का नियमानुसार निबंधन संख्या प्राप्त कर वाहनों/मशीनों में नम्बर प्लेट लगाकर खनिज का दुलाई/खनन कार्य किया जा रहा है या नहीं के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू नियमित जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्रवाई :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू)

8. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद एवं संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अनुमण्डल अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिज का अवैध खनन, परिवहन भंडारण का कार्य न हो के संबंध में प्रतिदिन छापागारी हेतु विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए Action Taken Report (ATR) प्रतिदिन आगामी कार्य दिवस को 10:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त महोदय द्वारा हरिहरगंज थाना के समीप बनाये गये चेकनाका के प्रतिवेदन शुन्य होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी, साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को निदेश दिया गया कि वाहन जांच में लगाये गये दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सप्ताहवार बदलेंगे, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अचूक रूप से उपलब्ध करायेंगे। चेकनाका के समीप लगाये गये CCTV Camera एवं वाहन जांच से संबंधित चेकनाका पर संधारित पंजी का भिन्न सुनिश्चित करेंगे, गलत प्रतिवेदन/लापरवाही करने वाले दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को अनुसंशा करेंगे। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त Action Taken Report (ATR) का जिला खनन पदाधिकारी, पलामू समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/ हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पलामू/जिला खनन पदाधिकारी)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamu

- 4.
9. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड अधिसूचना संख्या 31, दिनांक 08.11.2007 यथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (संशोधन), नियमावली, 2007 के नियम 57 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा आप प्राधिकृत हैं तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1273/एम0सी0, दिनांक 28.07.2010 द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण इत्यादि की रोकथाम की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्धारित की गयी है।
(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/ हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू)

10. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन/परिवहन/भंडारण पर अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय, एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराया जाय।
(कार्रवाई :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

11. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय/जनता दरबार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त शिकायत वादों का निष्पादन ससमय करें एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध करायेगें।
(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई एवं उक्त निदेश के आलोक में अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

ह०/-
उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक.....1414...../एम०, दिनांक...०५-०७-२०२४।

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू/सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamu

उपायुक्त,
पलामू।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 26.07.2024 को सम्पन्न अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया :-

पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत समीक्षा करते हुए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया।

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मानसून काल में माननीय NGT के आदेश व खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि यथा 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 में किसी भी परिस्थिति में बालूघाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के Appendix Table-9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है। वर्तमान में Category-1 के कुल 73 बालूघाट चिन्हित हैं, जिससे पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा था। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा संचालित बालूघाट का संचालन किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित अवधि में न हो, इसका अनुपालन संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बालू का अवैध उठाव हेतु जिला खनन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर निगरानी बनाये रखें तथा अपने अधिनस्थ क्रमशः अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

अवैध रूप से भंडारित बालू लघु खनिज पाये जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी अवैध रूप से भंडारित बालू को जप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय को सूचित करेंगे। तदोपरांत जिला खनन पदाधिकारी, पलामू जक्त बालू की निलामी नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी)

2. पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि बालू खनिज के अवैध रूप से उठाव के रोकथाम हेतु नदी के पहुँच पथ पर ट्रेंच कटिंग का कार्य किया जाता है परंतु अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा ट्रेंच कटिंग के कार्य से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि बालू खनिज के अवैध रूप से उठाव के रोकथाम हेतु नदी के पहुँच पथ पर ट्रेंच कटिंग से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे।

(कार्रवाई :- संबंधित अंचल अधिकारी/संबंधित थाना प्रभारी)

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला अंतर्गत कुल संचालित खनन पट्टों एवं संचालित खनन पट्टों के प्रशाखीय मापी (Sectional Measurement) के संदर्भ में पृच्छा की गयी। जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पलामू जिला अंतर्गत कुल 68 खनन पट्टों में से 56 खनन पट्टा संचालित है, जिसमें 37 संचालित खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी पूर्ण कर ली गई है एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि शेष संचालित 19 खनन पट्टों का प्रशाखीय मापी (Sectional Measurement) करेंगे एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई यथाशीघ्र करके Action taken report अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। साथ ही जहाँ कहीं भी Mining norms का Violation प्रतीत होता है वहाँ नियमानुसार कार्यवाई करें।



2.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के अपर समाहर्ता, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा जिला खनन कार्यालय में अंकेक्षण किये जाने के क्रम में पाया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन की स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में बिना हॉल सर्वे के अधिसूचना के ही प्रतिवेदन हॉल सर्वे के अनुसार दिया जा रहा है, जिसे पूर्णतः अवैध बताया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन के संदर्भ में गत सर्वे अथवा अधिसूचना होने की स्थिति में हॉल सर्वे के अनुसार प्रतिवेदन देंगे। गत सर्वे में भूमि का किस्म जंगल-झाड़ी होने की दशा में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अंचलवार खनन पट्टा की सूची संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के संबंधित पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिलान्तर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं हो के संबंध में निगरानी बनाये रखे तथा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के स्थिति में कृत कार्य में संलिप्त व्यक्ति/वाहन/वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

6. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत अवैध रूप से हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण न हो इस संबंध में विशेष निगरानी रखे, साथ ही जहाँ कहीं भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो तो त्वरित कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रत्येक माह के एक पक्ष के अंदर जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व की बैठक में निदेश दिया गया था, परन्तु अंचलवार/थानावार प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी छतरपुर, उटॉरी रोड, पांकी, नावा बाजार, हरिहरगंज को उपायुक्त महोदय द्वारा कारण पृच्छा की कार्रवाई हेतु जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, पलामू को निदेश दिया गया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदन हेतु एक प्रारूप बनायेगें जिसे सभी सदस्यों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। ताकि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदन एक रूपेण उपलब्ध करायेगे।

(कार्रवाई :- अपर समाहर्ता, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

7. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची के अनुपस्थित रहने के कारण जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को कारण पृच्छा की कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

8. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिलान्तर्गत संचालित वृहत निर्माण कार्य यथा सड़क निर्माण, रेलवे संबंधी निर्माण कार्य, वृहत असैनिक निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य का निरीक्षण हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

9. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी वनरक्षी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने अंचल/थाना अंतर्गत किसी भी परिस्थिति अवैध खनन/परिवहन/भंडारण न हो के संबंध में विशेष छापामारी करते हुए निगरानी बनाये रखेंगे एवं अंचल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक करेंगे। इस तरह के मामला प्रकाश में आने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधिनस्थ अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों/वनरक्षी द्वारा अंचलवार कार्रवाई की समीक्षा अनुमण्डल स्तरीय खनन टास्क फोर्स बैठक में करेंगे एवं अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का संकलन कर समेकित अनुमण्डलवार प्रतिवेदन सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी)

10. जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू को उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत खनिज के ढुलाई/खनन कार्य में उपयोग किये जा रहे वाहनों/मशीनों का नियमानुसार निबंधन संख्या प्राप्त कर वाहनों/मशीनों में नम्बर प्लेट लगाकर खनिज का ढुलाई/खनन कार्य किया जा रहा है या नहीं के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू नियमित जांचकर नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू)

11. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद एवं संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अनुमण्डल अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिज का अवैध खनन, परिवहन भंडारण का कार्य न हो के संबंध में प्रतिदिन छापामारी हेतु विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए Action Taken Report (ATR) प्रतिदिन आगामी कार्य दिवस को 10:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त महोदय द्वारा हरिहरगंज थाना के समीप बनाये गये चेकनाका के प्रतिवेदन शून्य होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी, साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को निदेश दिया गया कि वाहन जांच में लगाये गये दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सप्ताहवार बदलेंगे, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अचूक रूप से उपलब्ध करायेंगे। चेकनाका के समीप लगाये गये CCTV Camera एवं वाहन जांच से संबंधित चेकनाका पर संधारित पंजी का मिलान सुनिश्चित करेंगे, गलत प्रतिवेदन/लापरवाही करने वाले दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को अनुसंशा करेंगे। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त Action Taken Report (ATR) का जिला खनन पदाधिकारी, पलामू समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

12. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड अधिनियम संख्या 31, दिनांक 08.11.2007 यथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (संशोधन), विनियमावली, 2007 के नियम 57 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा आप प्राधिकृत है तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1273/एम0सी0, दिनांक 28.07.2010 द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण इत्यादि की रोकथाम की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्धारित की गयी है।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू)



Attested by
S.K. SHARMA
Notary Public, Palamu

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय, एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराया जाय।

साथ ही पलामू जिला अंतर्गत वैध खनन पट्टों एवं निबंधनधारियों द्वारा वर्तमान में उत्खनन किये जा रहे क्षेत्र एवं भंडारण किये जा रहे स्थल की अधिसूचित वन सीमा से वास्तविक दूरी 250 मीटर है अथवा नहीं के संदर्भ में संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू एवं अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से जांच कर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू एवं अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। अधिसूचित वन भूमि से दूरी 250 मीटर से कम होने की दशा में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

(कार्रवाई :- संबंधित अंचल अधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के क्रम में जंगल में जब्त किये गये वाहन को अवैधकर्ताओं द्वारा छुड़ा लेने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अवैध खनिज के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत शिकायत वाद (Compliant Case) दर्ज करने की कार्रवाई की जाती है, परंतु अवैधकर्ताओं द्वारा जब्त वाहन को छुड़ाये जाने के विरुद्ध कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बतलाया गया कि अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन जिसे अवैधकर्ताओं द्वारा छुड़ा लिया गया हो, इस दशा में उक्त वाहन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, परंतु अवैधकर्ताओं के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के आलोक में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उपरोक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू एवं पुलिस अधीक्षक, पलामू को आपसी सम्न्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू/संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

15. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय/जनता दरबार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त शिकायत वादों का निष्पादन ससमय करें एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की भी जांच करना सुनिश्चित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे, प्रकाशित खबर जांचोपरांत गलत पाये जाने पर इसकी सूचना जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को देंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई एवं उक्त निदेश के आलोक में अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

ह०/-
उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक 1613 / एम०, दिनांक 31.07.2024

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/

सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू/

सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(3)
30/07/24
उपायुक्त,



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2024 को सम्पन्न अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स समिति, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया, जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष 2024-25 में दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 28.08.2024 तक अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के बावत की गयी कार्रवाई निम्नवत् है :-


अवधि	अवैध खनन/ परिवहन/ भंडारणकर्ताओं की संख्या	जब्त वाहनों की संख्या	जुर्माना की राशि (लाख में)	प्राथमिकी दर्ज की संख्या (खनन)	माननीय व्यवहार न्यायालय, पलामू में दायर प्रतिवाद	माननीय जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, पलामू के न्यायालय में दायर प्रतिवाद
	खनन/ अनुमंडल/ अंचल/थाना/ परिवहन विभाग	खनन/ अनुमंडल/ अंचल/थाना/ परिवहन विभाग				
दिनांक 01.04.2024 से 28.08.2024 तक	114	114	82.52	12	114	83

पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत समीक्षा करते हुए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मानसून काल में माननीय NGT के आदेश व खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि यथा 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 में किसी भी परिस्थिति में बालूघाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के Appendix Table-9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है। वर्तमान में Category-1 के कुल 73 बालूघाट चिन्हित हैं, जिससे पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा था। उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा संचालित बालूघाट का संचालन किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित अवधि में न हो, इसका अनुपालन संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बालू का अवैध उठाव हेतु जिला खनन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर निगरानी बनाये रखेंगे तथा अपने अधिनस्थ क्रमशः अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

अवैध रूप से भंडारित बालू लघु खनिज पाये जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी अवैध रूप से भंडारित बालू को जप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय को सूचित करेंगे। तदोपरांत जिला खनन पदाधिकारी, पलामू जब्त बालू की जिला खनन कार्यालय/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी)

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

(Signature)

2. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला अंतर्गत कुल संचालित खनन पट्टों एवं संचालित खनन पट्टों के प्रशाखीय मापी (Sectional Measurement) के संदर्भ में पूछा की गयी। जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पलामू जिला अंतर्गत कुल 52 खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी पूर्ण कर ली गई है एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि शेष 15 संचालित खनन पट्टों का प्रशाखीय मापी (Sectional Measurement) करेंगे एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई यथाशीघ्र करके Action taken report अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। साथ ही जहाँ कहीं भी Mining norms का Violation प्रतीत होता है वहाँ नियमानुसार कार्यवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

3. पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि बालू खनिज के अवैध रूप से उठाव के रोकथाम हेतु नदी के पहुँच पथ पर ट्रेंच कटिंग का कार्य किया जाता है परंतु अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा ट्रेंच कटिंग के कार्य से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि बालू खनिज के अवैध रूप से उठाव के रोकथाम हेतु नदी के पहुँच पथ पर ट्रेंच कटिंग से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे।

(कार्रवाई :- संबंधित अंचल अधिकारी/संबंधित थाना प्रभारी)

4. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिलान्तर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं हो के संबंध में निगरानी बनाये रखे तथा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के स्थिति में कृत कार्य में संलिप्त व्यक्ति/वाहन/वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।


(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के अपर समाहर्ता, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा जिला खनन कार्यालय में अंकेक्षण किये जाने के क्रम में पाया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन की स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में बिना हॉल सर्वे के अधिसूचना के ही प्रतिवेदन हॉल सर्वे के अनुसार दिया जा रहा है, जिसे पूर्णतः अवैध बताया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया गया कि खनन पट्टा/खनिज विक्रेता निबंधन के संदर्भ में गत सर्वे अथवा अधिसूचना होने की स्थिति में हॉल सर्वे के अनुसार प्रतिवेदन देंगे। गत सर्वे में भूमि का किस्म जंगल-झाड़ी होने की दशा में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अंचलवार खनन पट्टा की सूची संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित अंचलाधिकारी को पत्र प्रेषित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के संबंधित पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

6. जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू को उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत खनिज के ढुलाई/खनन कार्य में उपयोग किये जा रहे वाहनों/मशीनों का नियमानुसार निबंधन संख्या प्राप्त कर वाहनों/मशीनों में नम्बर प्लेट लगाकर खनिज का ढुलाई/खनन कार्य किया जा रहा है या नहीं के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू नियमित जांचकर नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/मोटरयान निरीक्षक, पलामू)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

ASD

7. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत अवैध रूप से हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण न हो इस संबंध में विशेष निगरानी रखे, साथ ही जहाँ कहीं भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो तो त्वरित कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन प्रत्येक माह के एक पक्ष के अंदर जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व की बैठक में निदेश दिया गया था, परन्तु अंचलवार/थानावार प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी छतरपुर, उटौरी रोड, पांकी, नावा बाजार, हरिहरगंज को उपायुक्त महोदय द्वारा कारण पृच्छा की कार्रवाई हेतु जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, पलामू को निदेश दिया गया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदन हेतु एक प्रारूप बनायेंगे जिसे सभी सदस्यों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। ताकि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदन एक रूपेण उपलब्ध करायेगे।

(कार्रवाई :- अपर समाहर्ता, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

8. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिलान्तर्गत संचालित वृहत निर्माण कार्य यथा सड़क निर्माण, रेलवे संबंधी निर्माण कार्य, वृहत असेनिक निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य का निरीक्षण हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई :- खान निरीक्षक, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

9. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पलामू जिला के सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी/वनरक्षी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने अंचल/थाना अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण न हो के संबंध में विशेष छापामारी करते हुए निगरानी बनाये रखेंगे एवं अंचल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक करेंगे। इस तरह के मामला प्रकाश में आने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधिनस्थ अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों/वनरक्षी द्वारा अंचलवार कार्रवाई की समीक्षा अनुमंडल स्तरीय खनन टास्क फोर्स बैठक में करेंगे एवं अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का संकलन कर समेकित अनुमंडलवार प्रतिवेदन सभी अनुमंडल पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी)

10. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद एवं संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अनुमंडल अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में खनिज का अवैध खनन, परिवहन भंडारण का कार्य न हो के संबंध में प्रतिदिन छापामारी हेतु विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए Action Taken Report (ATR) प्रतिदिन आगामी कार्य दिवस को 10:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त महोदय द्वारा हरिहरगंज थाना के समीप बनाये गये चेकनाका के प्रतिवेदन शून्य होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी, साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर को निदेश दिया गया कि वाहन जांच में लगाये गये दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सप्ताहवार बदलेंगे, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अचूक रूप से उपलब्ध करायेगे। चेकनाका के समीप लगाये गये CCTV Camera एवं वाहन जांच से संबंधित चेकनाका पर सधारित पंजी का मिलान सुनिश्चित करेंगे, गलत प्रतिवेदन/लापरवाही करने वाले दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को अनुसंधान करेंगे। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त Action Taken Report (ATR) का जिला खनन पदाधिकारी, पलामू समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



(Handwritten signature)

12/10/2018
S.K. SHARAN
Notary Palamu

11. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड अधिसूचना संख्या 31, दिनांक 08.11.2007 तथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (संशोधन), नियमावली, 2007 के नियम 57 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं मंडारण के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा आप प्राधिकृत है तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1273/एम0सी0, दिनांक 28.07.2010 द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं मंडारण इत्यादि की रोकथाम की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्धारित की गयी है।

(कार्रवाई :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पलामू)

12. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुपण नियंत्रण पर्यद, रांची को निदेश दिया गया कि पलामू जिला अंतर्गत संघालित खनन पट्टों/खनिज विक्रेता निबंधन के बावत झारखण्ड राज्य प्रदुपण नियंत्रण पर्यद से निर्गत परिचालन सहमति (CTO) में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन खनन पट्टाधारियों/खनिज विक्रेता निबंधनधारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं के संबंध में नियमित जांच करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई :- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुपण नियंत्रण पर्यद, रांची)

13. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू, अंचल अधिकारी/थाना प्रमारी, छतरपुर, उटौरी रोड, पांकी, नावा बाजार, हरिहरगंज को किये गये स्पष्टीकरण के आलोक में बिन्दुवार समीक्षा करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया। साथ ही उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अवैध खनन, परिवहन एवं मंडारण के बावत भविष्य में त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू, अंचल अधिकारी/थाना प्रमारी, छतरपुर, उटौरी रोड, पांकी, नावा बाजार, हरिहरगंज, पलामू)

14. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन, परिवहन एवं मंडारण पर अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय, एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध कराया जाय।

साथ ही पलामू जिला अंतर्गत वैध खनन पट्टों एवं निबंधनधारियों द्वारा वर्तमान में उत्खनन किये जा रहे क्षेत्र एवं मंडारण किये जा रहे स्थल की अधिसूचित वन सीमा से वास्तविक दूरी 250 मीटर है अथवा नहीं के संदर्भ में संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू एवं अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से जांच कर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू एवं अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। अधिसूचित वन भूमि से दूरी 250 मीटर से कम होने की दशा में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे।


(कार्रवाई :- संबंधित अंचल अधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

15. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के क्रम में जंगल में जब्त किये गये वाहन को अवैधकर्ताओं द्वारा छुड़ा लेने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अवैध खनिज के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत शिकायत वाद (Compliant Case) दर्ज करने की कार्रवाई की जाती है, परंतु अवैधकर्ताओं द्वारा जब्त वाहन को छुड़ाये जाने के विरुद्ध कोई टांस कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बतलाया गया कि अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन जिस अवैधकर्ताओं द्वारा छुड़ा लिया गया हो, इस दशा में उक्त वाहन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, परंतु अवैधकर्ताओं के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के आलोक में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उपरोक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू एवं पुलिस अधीक्षक, पलामू को आपसी सम्मन्य स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्रवाई :- संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू/संबंधित थाना प्रमारी/संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)



Handwritten signature or initials.

5.

15.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय/जनता दरवार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त शिकायत वादों का निष्पादन प्राथमिकता सूची तैयार कर निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खनन कार्यालय, पलामू को उपलब्ध करायेगें। साथ ही विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की भी जांच करना सुनिश्चित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें, प्रकाशित खबर जांचोपरांत गलत पाये जाने पर इसकी सूचना जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को देंगे।

(कार्रवाई :- टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई एवं उक्त निदेश के आलोक में अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्य सचिव-सह-जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

ह०/-

उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक.....1816...../एम०, दिनांक.....31.08.2024.....।
प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू/ सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

3
30/08/24

उपायुक्त,
पलामू।

Accepted
S.K. SHARAN
Notary Palamu

17/08/26

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि के अंचल अधिकारी, नावा बाजार/लेस्लीगंज/पाटन/उटौरी रोड/रामगढ़/तरहसी/मोहम्मदगंज/हैदरनगर द्वारा माह सितम्बर में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध संबंधित थाना प्रभारी के साथ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- संबंधित अंचल अधिकारी)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड स्तर पर अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से जिला को प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर उपायुक्त महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को Show Cause देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से DGPS Survey कार्य की समीक्षा की गयी जिस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अब तक जिले के कुल 27 खनन पट्टों का DGPS Survey किया जा चुका है इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा शीघ्र अन्य सभी खनन पट्टों का DGPS Survey कराने हेतु पट्टेधारियों को निदेश देने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में चल रहे भारी वाहनों पर खनिजों के ओभरलोड परिवहन पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि ओभरलोड चल रहे वाहनों पर रोक लगाने हेतु अधिक से अधिक वाहनों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा वाहनों पर लदे खनिजों पर खनन अधिनियमों के तहत कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचित करना सुनिश्चित करें।


(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

2.

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि जिले के सभी कार्य विभागों के कार्यालय प्रमुख (NHAI सहित) को उपायुक्त महोदय के स्तर से पत्राचार कर निर्माण कार्यों में उपयोग किये जा रहे खनिजों की मात्रा एवं वैध श्रोत से क्रय किये गये चालानों का विवरण की मांग कर उसकी जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिले में संचालित निर्माण कार्यों में वैध खनिजों का ही उपयोग किया जा रहा है।
(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सभी कार्य विभाग, (NHAI सहित) पलामू)

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर बालू एवं पत्थर खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े स्थानों को चिन्हित कर औचक निरीक्षण करते हुए अवैधकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर कार्रवाई प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से पूर्व में दिए गए निदेश के आलोक में खनन पट्टों के प्रशाखीय मापी के संबध में पृच्छा की गयी। जिस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि पूर्व में पत्थर खनन पट्टों की मापी की गयी थी जिसमें पट्टेधारियों द्वारा उनकी उपस्थिति नहीं होने एवं अन्य कई बिन्दुओं पर आपति दर्ज करते हुए पट्टेधारियों द्वारा मांग पत्रित राशि का पूर्णतयः भुगतान नहीं किया गया। इस क्रम में कुल 12 पट्टेधारी द्वारा 67,77,379.00 रुपया का भुगतान किया गया। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि शीघ्र विशेष अभियान चलाकर दोनों खान निरीक्षकों के माध्यम से सभी खनन पट्टों की पट्टेधारियों के समक्ष अद्यतन प्रशाखीय मापी की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा उत्पादन-प्रेषण में भिन्नता पाये जाने पर तत्काल मांग पत्र निर्गत कर वसुली की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को बताया गया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के उपरांत अवैध बालू खनन एवं परिवहन की गतिविधियाँ बढ़ जाती है इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय कार्यों के दौरान अवैध खनिजों के परिवहन, भंडारण पर भी कड़ी निगरानी रखे तथा किसी भी स्थिति में खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पाये जाने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का मासिक प्रतिवेदन बैठक से पूर्व जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

3.

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कारखाना निरीक्षक, पलामू उक्त बैठक में उपस्थित नहीं है जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि बैठक की पूर्व सूचना कारखाना निरीक्षक, पलामू को ससमय उपलब्ध कराते हुए जिले में संचालित क्रसरों के कारखाना अनुज्ञप्ति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :- कारखाना निरीक्षक, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय से CTE/CTO के शर्तों का उल्लंघन कर अथवा बिना CTE/CTO के संचालित उन पर क्या कार्रवाई की गयी है उससे संबंधित कोई कार्रवाई प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा संबंधित पदाधिकारी की खोज की गई जो बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा अंतिम अवसर देते हुए निदेश दिया गया कि आगामी बैठक से पूर्व कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा बैठक में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संसूचित कर दी जाएगी।

(कार्रवाई :- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले के सभी प्रखण्डों में मनरेगा के तहत कई प्रकार के असैनिक निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं जिसमें लघु खनिजों यथा पत्थर, मिट्टी, मोरम, बालू आदि का उपयोग किया जा रहा है। उक्त लघु खनिजों की आपूर्ति प्रखण्डों में भेण्डर के माध्यम से कराया जाता है, जबकि उन भेण्डरों द्वारा अधिकांश तौर पर अवैध रूप से ही खनिजों का उपयोग मनरेगा निर्माण कार्यों में किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तथा उनके द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नियमानुसार जिला खनन कार्यालय में नहीं किया जा रहा है। प्रखण्डों से उक्त भेण्डरों को उपयोग किये गये खनिजों का मूल्य रॉयल्टी सहित भुगतान कर दिया जा रहा है। जिससे खनन राजस्व की अपवंचना की संभावना प्रतीत होती है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक विहित प्रमेत्र में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मनरेगा एवं अन्य निर्माण कार्यों में भेण्डरों द्वारा आपूर्ति की गई खनिज एवं खनिज की मात्रा, भुगतान की गयी रॉयल्टी की विवरणी मांग करें।

(अनुपालन :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी)

NOTARY
S.K. Sharan
Notary Palamu

4.

➤ जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड स्तर में मनरेगा एवं अन्य निर्माण कार्यों में खनिज आपूर्ति हेतु चयनित भण्डरों द्वारा वगैर डीलर निबंधन प्राप्त किये गये खनिजों का क्रय-विक्रय एवं आपूर्ति हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम-7 के आलोक में ऑनलाईन डीलर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र के माध्यम से निदेश देने हेतु जिला खनन पदाधिकारी को आदेशित किया गया।
(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

➤ जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपायुक्त महोदय के पत्रांक 1915, दिनांक 13.09.2024 द्वारा जिले में अवस्थित सभी खनन पट्टों एवं डीलर अनुज्ञप्ति की सूची प्रेषित करते हुए सूची के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अवैध खनन, अवैध भंडारण/क्रसर संचालन की सूचना जिला खनन पदाधिकारी को देने हेतु निदेशित किया गया है, किन्तु अब तक किसी भी पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

②
26/09/24
उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापक २०२४ / एम०, दिनांक २४.०९.२०२४ ।

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू/सभी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

③
26/09/24
उपायुक्त,
पलामू।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2024 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा अवैध खनिकर्म के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है, इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड स्तर पर अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से जिला को प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर उपायुक्त महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को Show Cause देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से DGPS Survey कार्य की समीक्षा की गयी जिस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि पिछले माह तक 27 खनन पट्टों का DGPS Survey किया जा चुका था तथा अब तक जिले के कुल 41 खनन पट्टों का DGPS Survey किया जा चुका है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा शीघ्र अन्य सभी खनन पट्टों का DGPS Survey कराने हेतु पट्टेधारियों को निदेश देने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में चल रहे भारी वाहनों पर खनिजों के ओवरलोड परिवहन पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त जैसे वाहन जिस पर खनिज लदा हो उन वाहनों के चालानों की जांच हेतु जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को पत्र प्रेषित की जाती है, इस क्रम में दिनांक 01.09.2024 एवं दिनांक 21.10.2024 को कुल 09 वाहनों को खनिजों के साथ जब्त कर कार्रवाई की जांच हेतु जिला खनन कार्यालय, पलामू को प्रेषित की गई है। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि जिले में ऐसे मामलों में सघन जांच एवं छापामारी अभियान चलाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

2.

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से पृच्छा की गयी कि सभी कार्य विभागों को वैध रूप से खनिजों का उपयोग करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र निर्गत की गयी है अथवा नहीं। इस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि सभी कार्य विभाग के प्रमुखों को भवदीय स्तर से पत्रांक 2177, दिनांक 17.10.2024 एवं 2178, दिनांक 17.10.2024 द्वारा इस संबंध में पत्र प्रेषित कर दी गई है।
(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सभी कार्य विभाग, (NHAI सहित) पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर बालू एवं पत्थर खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े स्थानों को चिन्हित कर औचक निरीक्षण करते हुए अवैधकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर कार्रवाई प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से पूर्व में दिए गए निदेश के आलोक में माह अक्टूबर, 24 में 03 पत्थर खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी खान निरीक्षकों द्वारा की गयी है। उक्त तीनों के अतिरिक्त पूर्व में मापी की गयी अन्य खनन पट्टों के बावत अंतर राशि की वसुली की जा रही है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा खनन पट्टों की मापी में तेजी लाने हेतु जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षकों को निदेश दिया गया।
(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/दोनों खान निरीक्षक, पलामू)

➤ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को बताया गया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के कारण अवैध बालू खनन एवं परिवहन की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, इसलिए सभी अपने-अपने क्षेत्र में बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर भी कड़ी निगरानी रखे तथा किसी भी स्थिति में खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पाये जाने की स्थिति में अवैधकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

➤ बैठक में उपस्थित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कारखाना निरीक्षक, पलामू कई बैठकों से उपस्थित नहीं है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि कारखाना निरीक्षक, पलामू को उपायुक्त महोदय के स्तर से कारण पृच्छा निर्गत करना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन :- कारखाना निरीक्षक, पलामू)

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले में अवैध खनन गतिविधि की रोकथाम एवं राजस्व की वृद्धि हेतु वैध खनन को बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है। इस हेतु अंचल स्तर एवं वन प्रमण्डल स्तर से खनन पट्टा एवं डीलर अनुज्ञप्ति हेतु दाखिल आवेदनों से संबंधित प्रतिवेदन का ससमय निस्तार आवश्यक है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि खनन पट्टे एवं डीलर अनुज्ञप्ति से संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, पलामू द्वारा मांगी गयी जांच प्रतिवेदन को 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से प्रेषण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल से भी खनन पट्टे एवं डीलर अनुज्ञप्ति से संबंधित मामलों में शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खनन पट्टा एवं डीलर अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदनों को ससमय एवं शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करेंगे।
(कार्रवाई :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 26.09.2024 को दिए गए निदेश के आलोक में खनिज आपूर्ति करने वाले भेण्डरों के डीलर निबंधन एवं उपयोग किये गये खनिजों का आँकड़ा अब तक अप्राप्त है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा इस संबंध में स्मार पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- अन्यान्य :- 1. उपायुक्त महोदय द्वारा वन भूमि से खनिजों से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी को अपने स्तर से वन प्रमण्डल कार्यालय, पलामू में कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने हेतु निदेश देने का आग्रह किया गया।

2. उपायुक्त महोदय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/हुसैनाबाद/छतरपुर को अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु औचक छापामारी करने, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी के साथ प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर अवैध खनिकर्म के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपायुक्त महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची को निदेश दिया गया कि जिले में अवस्थित क्रसरों के प्रदुषण मानकों का जांचकर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. उपायुक्त महोदय द्वारा कारखाना निरीक्षक, पलामू को निदेश दिया गया कि जिले में अवस्थित सभी क्रसरों के कारखाना अनुज्ञप्ति की जांचकर जांच-सह-कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन में जब्त वाहन एवं अवैधकर्ताओं के विरुद्ध अंचल/थाना स्तर से ही तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।




4.

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक 2294...../एम०, दिनांक 22-10-24.....।

- प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर, सदर, मेदिनीनगर/हुसैनाबाद /जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची/कारखाना निरीक्षक, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
पलामू।




Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2024 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अंचल/थाना स्तर से विगत दो माह में की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा निम्न कार्रवाई की गयी है।

अंचल/थाना	कुल जप्त वाहन	अंचल/थाना	कुल जप्त वाहन
पिपरा	01	मनातू	01
छतरपुर	05	विश्रामपुर	00
हुसैनाबाद	05	पण्डवा	01
सदर	03	लेस्लीगंज	01
सतबरवा	02	पाटन	00
चैनपुर/रामगढ़	05	मोहम्मदगंज	01
पिपराटाड़/पांकी	00	हैदरनगर	01
हरिहरगंज	03	तरहसी	06
नौडीहा बाजार	01	उटॉरी रोड	01
पाण्डू	02	नावा बाजार	08

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा पाटन, विश्रामपुर एवं पांकी अंचल अंतर्गत शुन्य कार्रवाई से नाराजगी प्रकट करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोकथाम लगाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन 19, कुल प्राथमिकी 06, वसुली की गयी दण्ड राशि 21.80 लाख रुपये।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

कुल 02 वन वाद दर्ज।

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन 24, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 10.55 लाख रुपये।

अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई :-

सदर मेदिनीनगर	03 वाहन जांचकर कार्रवाई हेतु जिला खनन कार्यालय, पलामू को सूचित किया गया है। जिला खनन कार्यालय, पलामू द्वारा प्राथमिकी दर्ज।
छतरपुर	14 खनिज लदे वाहनों को जांचकर अंचल अधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचित किया गया। सभी वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज।
हुसैनाबाद	01 वाहन जांचकर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद को सूचित किया गया है।

NOTARY
S.K. SHARAN
Notary Palamu

2.

उपायुक्त महोदय द्वारा जिला स्तर से खनन कार्यालय, परिवहन कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी को संयुक्त रूप से प्रत्येक माह अवैध खनन एवं परिवहन की जांच तथा अनुश्रवण हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि कैटेगरी-1 के सभी 73 बालूघाटों के संचालन में नम्बर प्लेट लगे वाहनों का उपयोग करने हेतु संबंधित मुखिया को निदेश देने हेतु पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिक से अधिक ओभरलोड वाहन की जांच करने तथा वाहनों में अतिरिक्त खनिजों का प्रेषण हेतु वाहनों के ट्राली/डाला के उंचाई को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाये जाने पर रोद लगाव हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा बार्डर क्षेत्र में अवस्थित थानों के बाहर CCTV अधिष्ठापित करने हेतु अनुरोध पत्र DMFT cell/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- संबंधित थाना प्रभारी/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर द्वारा बताया गया कि जिले में अवस्थित क्रसरों के संचालकों द्वारा बिना चाहरदिवारी एवं Water sprinkler के ही क्रसर का संचालन किया जाता है जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में काफी धूलकण उड़ने के कारण ग्रामीणों द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में अवस्थित क्रसरों की जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)।

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा सुझाव दिया गया कि पलामू जिले से बिहार राज्य की ओर परिवहन हेतु उपयोग करने वाले मुख्य सड़कों पर स्थाई चेकनाका को अंकुश लगाया जा सकता है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को स्थाई चेकनाका हेतु स्थल चिन्हित कर शीघ्र प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पलामू)



3.

उपायुक्त महोदय द्वारा जिला District Informatics Officer (DIO), N.I.C, Palamau को निदेश दिया गया कि जिले में अवस्थित सभी पत्थर खनन पट्टों का Geo-reference map तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- District Informatics Officer (DIO), N.I.C, Palamau)


अन्यान्य :-

उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निदेश दिये गये :-

1. जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस केन्द्र से पुलिस बल प्राप्त कर समय-समय पर औचक निरीक्षण व छापामारी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संवेदकों द्वारा वैध बालू एवं स्टोन का ही उपयोग निर्माण कार्य में करेंगे।
3. सभी अंचल अधिकारी नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु बालू उठाव के रास्ते में trench Cutting कर फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. थाना प्रभारी रात्रि गस्ती के दौरान अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने हेतु थाना स्तर के सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
5. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक माह संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी के साथ अनुमण्डल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी बिना नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

ह०/-
उपायुक्त,
पलामू।



ज्ञापांक 2713 / एम०, दिनांक 05-12-24

- प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
पलामू।

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2024 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा निम्न कार्रवाई की गयी है।

अंचल/थाना	कुल जप्त वाहन	अंचल/थाना	कुल जप्त वाहन
पिपरा	01	मनातू	00
छतरपुर	02	विश्रामपुर	01
हुसैनाबाद	10	पण्डवा	01
सदर	04	लेस्लीगंज	05
सतबरवा	02	पाटन	07
चैनपुर/रामगढ़	05	मोहम्मदगंज	01
पिपराटाड़/पांकी	02	हैदरनगर	01
हरिहरगंज	02	तरहसी	02
नौडीहा बाजार	05	उटोरी रोड	05
पाण्डू	04	नावा बाजार	02

उपायुक्त महोदय द्वारा मनातू अंचल अंतर्गत शुन्य कार्रवाई से नाराजगी प्रकट करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोकथाम लगाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन 26, कुल प्राथमिकी 05, वसुली की गयी दण्ड राशि 14.92 लाख रुपये

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

कुल 03 वन वाद दर्ज।

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 06, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 3.24 लाख रुपये।


झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची :-

कार्रवाई :- 00

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विगत कई माह के अनुरूप इस माह भी शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित की गयी है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसकी सूचना सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची को देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau



2.

➤ उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिक से अधिक ओभरलोड वाहन की जांच करने तथा वाहनों में अतिरिक्त खनिजों का प्रेषण हेतु वाहनों के ड्राली/डाला के उंचाई को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाये जाने पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

➤ उपायुक्त महोदय द्वारा अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद, हैदरनगर, सदर, मेदिनीनगर, चैनपुर, पांकी, पाटन एवं पण्डवा को निदेश दिया गया कि रात्रि के दौरान नदी जाने वाले रास्तों में बैरिकेटिंग कर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि रात्रि में बालू खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन न हो। सभी अंचल अधिकारी को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

➤ उपायुक्त महोदय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर, छतरपुर एवं हुसैनाबाद को अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित क्रसरों की जांचकर प्रदुषण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर, छतरपुर एवं हुसैनाबाद पलामू)

➤ उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिस अंचल स्तर में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है वैसे सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को चिन्हित कर अपने स्तर से कारण पृच्छा निर्गत करते हुए इसकी सूचना उपायुक्त महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर, छतरपुर एवं हुसैनाबाद पलामू)

➤ बैठक में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं छतरपुर द्वारा बताया गया कि अवैध खनिकर्म के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाना के द्वारा तत्काल पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिससे कार्रवाई बाधित होती है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अवैध खनिकर्म के दौरान जिला स्तरीय, अनुमण्डल स्तर अथवा अंचल स्तर के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किये जाने पर बगैर किसी विलंब के सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के साथ-साथ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके।


(अनुपालन:- सभी थाना प्रभारी, पलामू)

➤ उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्तमान में संचालित सभी पत्थर खनन पट्टों के जमीन के किस्म की जांचकर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

➤ बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वाहन जब्ती के उपरांत संबंधित थाना को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से सुपुर्द करना सुनिश्चित करें ताकि उचित कार्रवाई ससमय किया जा सके।

(अनुपालन:- सभी उपस्थित सदस्य, टास्क फोर्स, पलामू)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

- बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा बताया गया कि अंचल स्तर में अवैध खनन में कार्रवाई हेतु चौकीदार उपलब्ध करायी जाय। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा अंचल अधिकारी, छतरपुर को निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर चौकीदार प्राप्त कर अवैध खनन पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- अंचल अधिकारी, छतरपुर, पलामू)

अन्यान्य :-

उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निदेश दिये गये :-

1. जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस केन्द्र से पुलिस बल प्राप्त कर उन्हें पुराना परिसदन भवन में रुकने की व्यवस्था करायेगे, ताकि जांच के दौरान ससमय पुलिस बल उपलब्ध हो सके।
2. सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संवेदकों द्वारा वैध बालू एवं स्टोन का ही उपयोग निर्माण कार्य में करेंगे।
3. सभी अंचल अधिकारी नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु बालू उठाव के रास्ते में trench Cutting कर फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. थाना प्रभारी रात्रि गस्ती के दौरान अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने हेतु थाना स्तर के सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
5. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक माह संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी के साथ अनुमण्डल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी बिना नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

(31/01/25)
उपायुक्त,
पलामू।



ज्ञापांक.....190...../एम०, दिनांक.....01-02-25.....।

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखंड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

(31/01/25)
उपायुक्त,
पलामू।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह जनवरी, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	02	मनातू	01
छतरपुर	18	विश्रामपुर	03
हुसैनाबाद	10	पण्डवा	02
सदर	03	लेस्लीगंज	00
सतबरवा	08	पाटन	03
चैनपुर/रामगढ़	10	मोहम्मदगंज	00
पिपराटाड़/पांकी	05	हैदरनगर	01
हरिहरगंज	02	तरहसी	02
नौडीहा बाजार	04	उटौरी रोड	01
पाण्डू	01	नावा बाजार	03

उपायुक्त महोदय द्वारा मोहम्मदगंज एवं लेस्लीगंज अंचल अंतर्गत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रतिवेदित करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोकथाम लगाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन 38, कुल प्राथमिकी 06, वसुली की गयी दण्ड राशि 18.90 लाख रुपये।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

09 क्रसरों से वन भूमि से अवैध उत्खनित पत्थर जप्त कर सभी संचालकों पर वनवाद दायर किया गया है।

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-


कुल वाहन 16, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 7.35 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

कार्रवाई :- 00

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विगत कई माह के अनुरूप इस माह भी शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित की गयी है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी।

(अनुपालन:- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

2.

उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिक से अधिक ओभरलोड वाहन की जांच करने तथा वाहनों में अतिरिक्त खनिजों का प्रेषण हेतु वाहनों के ट्राली/डाला के उंचाई को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाये जाने पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा पूर्व बैठक में बालूघाटों तक जाने वाले पथ में trench Cutting कर बैरिकेटिंग करते हुए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने हुए दिये गये निदेश की समीक्षा की गयी। जिसपर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल 05 अंचलों से प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	अंचल का नाम	ट्रेंच कटिंग	चौकीदार
1	पाटन झापांक 161 / दिनांक 18.02.25	01	03
2	उटौरी रोड झापांक 88 / दिनांक 18.02.25	02	00
3	मनातु झापांक 77 / दिनांक 18.02.25	00	04
4	विश्रामपुर झापांक 152 / दिनांक 18.02.25	00	05
5	हुसैनाबाद पत्रांक 128 / दिनांक 17.02.25	04	06

उपायुक्त महोदय द्वारा शेष सभी अंचल अधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि रात्रि के दौरान नदी जाने वाले रास्तों में बैरिकेटिंग कर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि रात्रि में बालू खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन न हो। सभी अंचल अधिकारी को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा पूर्व बैठक में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित क्रसरों के प्रदुषण मानकों की जांच के बावत दिए गए निदेश की समीक्षा की गयी। जिसपर अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित कई खनन पट्टे एवं क्रसर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन अथवा भंडारण कार्य कर रहे हैं। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि जिले के सभी क्रसरों एवं खनन पट्टों की जांच कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी क्रसर एवं खनन पट्टे स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही कार्यरत हैं। स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/खान निरीक्षक, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि रात्रि के दौरान खनिजों का अवैध परिवहन की जाने की संभावना रहती है जिस पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित जगहों पर अस्थाई चेकनाका स्थापित करते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है :-

अनुमंडल का नाम	चेकनाका हेतु चयनित स्थल का नाम	अभियुक्ति
हुसैनाबाद	1. हुसैनाबाद थाना अंतर्गत कामगारपुर के पास पूर्व से स्थापित पिकेट पर। 2. हुसैनाबाद थाना अंतर्गत कुसुवा में। हुसैनाबाद थाना अंतर्गत दंगवार स्थित पेट्रोल पम्प/पिकेट के पास।	



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

3.

छतरपुर	1. कउवल पुल के पास। 2. NH-139 दुबटिया मोड़ पर। 3. NH-139 दुबटिया मोड़ से टंडवा/नबीनगर जपला जाने वाली सड़क में दमवा मोड़ के पास। 4. हरिहरगंज थाना स्थित के समीप NH-139 में।	
सदर, मेदिनीनगर	1. चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर कोयल नदी पुल के पास पूर्व से स्थापित चेकनाका के समीप। 2. शहर थाना अंतर्गत Top-2 के समीप।	

उपायुक्त महोदय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर/छतरपुर/हुसैनाबाद को निदेश दिया गया कि उपरोक्त सभी चिन्हित स्थलों पर अपने स्तर से अस्थाई चेकनाका स्थापित करते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। टास्क फोर्स के सभी सदस्यों द्वारा समय-समय पर उक्त चेकनाका पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के कार्य एवं संधारित पंजी का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पलामू/टास्क फोर्स के सभी सदस्य)

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में कैटेगरी-1 के चिन्हित 73 बालूघाटों के नियमानुसार संचालन हेतु सभी संबंधित मुखिया के साथ बैठक आयोजित कर सभी नियमों की जानकारी देते हुए नियमानुसार बालू का खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज को निदेश दिया गया कि रात्रि के दौरान अवैध बालू खनन के बावत चौकसी करते हुए निरंतर छापामारी अभियान चलाना सुनिश्चित करें।


(अनुपालन:- अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज पलामू)

- बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि कैटेगरी-1 के सभी एवं कैटेगरी-2 के कांके खुर्द बालूघाट से वैध चालान के माध्यम से बालू का परिवहन कर रहे वाहनों को अनावश्यक परेशान नहीं करें तथा कार्रवाई के दौरान होमगार्ड से वाहन जांच अथवा प्राथमिकी दर्ज नहीं करायेगें। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा भी बैठक में उपस्थित सदस्यों को निदेशित किया गया कि वाहन जांच, खनन पट्टों की जांच, क्रसर की जांच में नियमों का अनुपालन अवश्य करें ताकि भविष्य में कोई विधिक समस्या उत्पन्न न हो।

(अनुपालन:- सभी पुलिस पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी।)

- बैठक में उपस्थित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि हरिहरगंज अंचल अंतर्गत कुल 09 क्रसरों की जांच के दौरान वन भूमि से अवैध उत्खनित पत्थर पाया गया। जिसे जब्त कर राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। इस सभी क्रसरों पर खनन कार्यालय स्तर से भी कार्रवाई अपेक्षित है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि सभी क्रसरों के संचालकों को नोटिस निर्गत करते हुए वैध परिवहन चालान नहीं पाये जाने अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने पर सभी संबंधित क्रसरों के लाइसेंस को रद्द करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर उक्त लाइसेंस रद्द क्रसरों का संचालन न हो इस पर निगरानी रखते हुए संचालित पाये जाने पर सील अथवा ध्वस्त की कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर)



17/10/2018
S.K. SHARAN
Notary Palamu

4.

➤ बैठक में उपस्थित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि छतरपुर अंचल क्षेत्र में बचकोमा, बसडीहा, गोसाईडीह आदि क्षेत्रों से सरकारी भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि में किरसी भी हालत में अवैध पत्थर खनन न हो अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित अंचल अधिकारी की होगी। फलस्वरूप ऐसे मामलों पर समुचित निगरानी रखते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी)

➤ बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि छतरपुर अंचल के गोसाईडीह में अवैध रूप से मोरम का खनन कर आसपास में निर्माणाधीन नहर में आपूर्ति की जा रही है। जिस पर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा अंचल अधिकारी छतरपुर एवं पीपरा को निर्देशित किया गया कि ऐसे मामलों में अपने स्तर से सतत् निगरानी रखते हुये अवैध खनन पर रोक लगाना सुनिश्चित करें तथा थाना प्रभारी छतरपुर को निर्देशित किया गया कि उक्त दर्ज प्राथमिकी में शीघ्र अनुसंधान करते हुये अवैधकर्ताओं की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।

अन्यान्य :-

उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निदेश दिये गये :-

1. सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संवेदकों द्वारा वैध बालू एवं स्टोन का ही उपयोग निर्माण कार्य में करेंगे।
2. सभी अंचल अधिकारी नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु बालू उठाव के रास्ते में अतिरिक्त trench Cutting कर फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. थाना प्रभारी रात्रि गस्ती के दौरान अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने हेतु थाना स्तर के सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
4. सभी कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, स्वामिस्व एवं अन्य मद में कटौति की गयी राशि को माह मार्च-2025 तक अनिवार्य रूप से खनन शीष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक माह संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी के साथ अनुमण्डल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी बिना नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की



S.K. Sharan
S.K. SHARAN
Notary Palamau

③
28/02/25
उपायुक्त,
पलामू।

5.

ज्ञापांक..... 374 / एम०, दिनांक 03-03-25 ।

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

3
28/03/25
उपायुक्त,
पलामू।



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

325

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह फरवरी, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	07	मनातू	02
छतरपुर	04	विश्रामपुर	04
हुसैनाबाद	04	पण्डवा	02
सदर	09	लेस्लीगंज	04
सतबरवा	00	पाटन	03
चैनपुर/रामगढ़	03	मोहम्मदगंज	01
पिपराटाड़/पांकी	06	हैदरनगर	00
हरिहरगंज	01	तरहसी	01
नौडीहा बाजार	03	उटौरी रोड	02
पाण्डू	00	नावा बाजार	01

उपायुक्त महोदय द्वारा मोहम्मदगंज एवं लेस्लीगंज अंचल अंतर्गत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रतिवेदित करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोकथाम लगाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन :- 34, कुल प्राथमिकी :- 02, वसुली की गयी दण्ड राशि :- 16.43 लाख रुपये।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- 08

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-


कुल वाहन 14, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 770500.00 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

कार्रवाई :- 00

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विगत कई माह के अनुरूप इस माह भी शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित की गयी है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी।

(अनुपालन:- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

2.

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित क्रसरों की जांच कार्यालय के खान निरीक्षकों द्वारा निरंतर करायी जा रही है। जांच के दौरान नियमों की अनदेखी कर संचालित क्रसर अथवा कई दिनों से बिना CTE/CTO के संचालित/बिना परिवहन चालान के खनिजों का परिवहन करने वाले क्रसरों की पहचान कर उनके डीलर्स अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा रहा है। विगत दो माह में कुल 25 डीलर्स अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा प्रसन्ता व्यक्त करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि जैसे क्रसर जो अवैध रूप से वन भूमि अथवा सरकारी भूमि से पत्थर खनन कर उपयोग करते हैं। उन क्रसरों को चिन्हित कर अनुज्ञप्ति रद्द करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/खान निरीक्षक, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि डीलर्स निबंधन के आड़ में बालू खनिज का अवैध भंडारण करने वाले बालू भंडारणकर्ताओं के डीलर्स निबंधन की भी जांचकर अवैध/असंचालित पाये जाने पर अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई करें। इस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा उपायुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि इस प्रकार के कुल 21 बालू भंडारण अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/खान निरीक्षक, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा हाल की घटनाओं के आलोक में बैठक में उपस्थित जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि रात्रि के दौरान छापामारी अभियान से पूर्व उपायुक्त, पलामू को अग्रिम सूचना देने के उपरांत ही छापामारी हेतु सुदुर क्षेत्रों में प्रस्थान करेंगे। ताकि भविष्य में जांच पदाधिकारियों पर कोई खतरा उत्पन्न न हो।

(अनुपालन:- जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिक से अधिक ओभरलोड वाहन की जांच करने तथा वाहनों में अतिरिक्त खनिजों का प्रेषण हेतु वाहनों के ट्राली/डाला के उंचाई को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाये जाने पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।


(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में कैटेगरी-1 के चिन्हित 73 बालूघाटों के नियमानुसार संचालन हेतु सभी संबंधित मुखिया के साथ बैठक आयोजित कर सभी नियमों की जानकारी देते हुए नियमानुसार बालू का खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि छतरपुर अंचल क्षेत्र में बचकोमा, बसडीहा, गोसाईडीह आदि क्षेत्रों से सरकारी भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि में किसी भी हालत में अवैध पत्थर खनन न हो अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अंचल अधिकारी की होगी। फलस्वरूप ऐसे मामलों पर समुचित निगरानी रखते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

3. उपायुक्त महोदय द्वारा पूर्व बैठक में बालूघाटों तक जाने वाले पथ में trench Cutting कर बैरिकेटिंग करते हुए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने हुए दिये गये निदेश की समीक्षा की गयी। जिसपर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल 07 अंचलों से प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	अंचल का नाम	ट्रेंच कटिंग	चौकीदार	अभियुक्ति
1	पाटन झापांक 161/दिनांक 18.02.25 झापांक 168/दिनांक 19.02.25	01	03	ग्राम पंचायत लोडंगा के बालूघाट के नदी की ओर आने जाने वाले रास्तों में ट्रेंच कटिंग करा दी गयी है।
2	उटौरी रोड झापांक 88,86/दिनांक 18.02.25	02	06	—
3	मनातु झापांक 77/दिनांक 18.02.25	02	04	—
4	विश्रामपुर झापांक 152/दिनांक 18.02.25 झापांक 185/दिनांक 27.02.25	05	05	—
5	हुसैनाबाद पत्रांक 128/दिनांक 17.02.25	04	06	—
6	लेस्लीगंज झापांक 445, दिनांक 20.02.25	-	-	Jcb के द्वारा अवैध बालू के खनन रोक लगाने हेतु ट्रेंच कटिंग किया गया एवं बैरिकेटिंग करके स्थानीय चौकीदारों को निगरानी प्रतिनियुक्त किया गया।
7	मोहम्मदगंज झापांक 68/दिनांक 27.02.25	-	-	विभिन्न मोड़ पर रात्रि गश्ती के लिए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गयी है, एवं विभिन्न बालूघाटों पर ट्रेंच कटिंग किया गया है।


उपायुक्त महोदय द्वारा शेष सभी अंचल अधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि रात्रि के दौरान नदी जाने वाले रास्तों में बैरिकेटिंग कर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि रात्रि में बालू खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन न हो। सभी अंचल अधिकारी को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

उपायुक्त महोदय द्वारा जिले के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अवैध बालू खनन के बावत चौकसी करते हुए निरंतर छापामारी अभियान चलाना सुनिश्चित करें। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी इसकी समीक्षा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से करेंगे।
(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

अन्यान्य :-

उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निदेश दिये गये :-

1. सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संवेदकों द्वारा वैध बालू एवं स्टोन का ही उपयोग निर्माण कार्य में करेंगे।
2. सभी अंचल अधिकारी नदियों से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु बालू उठाव के रास्ते में अतिरिक्त trench Cutting कर फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



17/02/26
S.K. SHARAN
Notary Palamu

4.

3. थाना प्रभारी रात्रि गस्ती के दौरान अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने हेतु थाना स्तर के सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
4. जिले में स्थापित क्रसरों के अनुज्ञप्ति रद्द करने के उपरांत संचालित पाये जाने पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, खान निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक एवं प्रदुषण विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर क्रसर को ध्वस्त करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी, खान निरीक्षक, अंचल अमीन के माध्यम से खनन पट्टों एवं पत्थर भंडारण की जांच कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पट्टेधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही खनन/भंडारण कार्य किया जा रहा है।
6. थाना प्रभारी, हरिहरगंज सुनिश्चित करेंगे कि हरिहरगंज थाना के समीप वाहनों की जांच के दौरान जांच कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित न की जाय। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, छतरपुर एवं अंचल अधिकारी, हरिहरगंज इस पर प्रभावी निगरानी रखेंगे।
7. प्रत्येक माह संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधि के संचालन पर प्रभावी रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाई सम्पन्न की गई।

९०/-
उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक 787 / एम०, दिनांक 28-03-25 ।
 प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



3/28/03/25
उपायुक्त,
पलामू।

S.K. Sharan
Attested by
S.K. SHARAN
Notary Palamou

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह मार्च, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	00	मनातू	01
छतरपुर	06	विश्रामपुर	04
हुसैनाबाद	02	पण्डवा	03
सदर	00	लेस्लीगंज	07
सतबरवा	01	पाटन	04
चैनपुर/रामगढ़	04	मोहम्मदगंज	05
पिपराटाड़/पांकी	01	हैदरनगर	01
हरिहरगंज	07	तरहसी	01
नौडीहा बाजार	01	उटोरी रोड	03
पाण्डू	01	नावा बाजार	01

उपायुक्त महोदय द्वारा पिपरा एवं सदर अंचल द्वारा माह मार्च, 2025 में शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कारण पृच्छा निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- अंचल अधिकारी, पिपरा/सदर, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन :- 35, कुल प्राथमिकी :- 03, वसुली की गयी दण्ड राशि :- 24.63 लाख रुपये।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- 00

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-


कुल वाहन 17, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 771450.00 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची :-

कार्रवाई :- 00

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विगत कई माह के अनुरूप इस माह भी शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित की गयी है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी।

(अनुपालन:- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



S.K. SHARAN
Notary Palamu

2.

- उपायुक्त महोदय द्वारा मेसर्स सी0सी0एल0 द्वारा राजहारा कोलियरी को चलाये जाने में कोई अभिरुचि नहीं लिये जाने के कारण अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, मेसर्स सी0सी0एल0 को पत्र प्रेषित करने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को दिया गया।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को जिले में संचालित सभी 05 बालू भंडारणों का जांच कर जांच प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह 05-05 बिना नम्बर के टैक्टरों को जप्त कर दण्ड वसुली की कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन अगले बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया गया कि जिले में अवस्थित सभी क्रसरों की सूची अनुमंडलवार संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी जैसे क्रसरों को चिन्हित करेंगे जो किसी खनन पट्टे से संबंधित न हो तथा पत्थर का उत्खनन वन भूमि अथवा सरकारी भूमि से करके अवैध रूप से संचालित कर रहे हो। ऐसे क्रसरों की सूचना एवं जांच प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध करायेंगे। तथा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू उन क्रसर संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी / जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पत्रांक 499, दिनांक 23.04.2025 द्वारा हरिहरगंज प्रखण्ड के थाना के समीप चेकनाका स्थापित कर दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए वाहनों का जांच हेतु निर्गत आदेश की सराहना करते हुए अन्य दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को इसी अनुरूप चेकनाका स्थापित करने का निदेश दिया गया तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद को विशेष रूप से वाहनों की औचक जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वन भूमि से अवैध खनन पाये जाने पर संबंधित वन कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाय ताकि वन भूमि से अवैध खनन के साथ-साथ वन सम्पत्ति की क्षति को रोका जा सके।

(अनुपालन:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु पूर्व में किये गये ट्रेंच कटिंग का औचक निरीक्षण कर आवश्यकता पड़ने पर और अधिक ट्रेंच कटिंग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिले के वार्डर एरिया विशेष कर हरिहरगंज, हुसैनाबाद, सतबरवा के अंचल अधिकारियों को विशेष सर्तकता बरतते हुए प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो औचक निरीक्षण करते हुए वाहनों की सघन जांच हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- अंचल अधिकारी, हरिहरगंज/हुसैनाबाद/सतबरवा, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिक से अधिक ओभरलोड वाहन की जांच करने तथा वाहनों में अतिरिक्त खनिजों का प्रेषण हेतु वाहनों के ट्राली/डाला के उंचाई को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाये जाने पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में कैटेगरी-1 के चिह्नित 73 बालूघाटों के नियमानुसार संचालन हेतु सभी संबंधित मुखिया के साथ बैठक आयोजित कर सभी नियमों की जानकारी देते हुए नियमानुसार बालू का खनन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बालू का उठाव नियत स्थान से एवं चालान के माध्यम से किया जाय तथा तय दर से अधिक राशि की वसुली न हो।

(अनुपालन:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा पूर्व बैठक में बालूघाटों तक जाने वाले पथ में trench Cutting कर बैरिकेटिंग करते हुए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने हुए दिये गये निदेश की समीक्षा की गयी। जिसपर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल 07 अंचलों से प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	अंचल का नाम	ट्रेंच कटिंग	चौकीदार	अभियुक्ति
1	पाटन झापांक 161/दिनांक 18.02.25 झापांक 168/दिनांक 19.02.25	01	03	ग्राम पंचायत लोइंगा के बालूघाट के नदी की ओर आने वाले रास्तों में ट्रेंच कटिंग करा दी गयी है।
2	उटॉरी रोड झापांक 88,86/दिनांक 18.02.25	02	06	सिड़हा घाट-01 एवं सिड़हा घाट-2 पर कराया गया है।
3	मनातु झापांक 77/दिनांक 18.02.25	02	04	-
4	विश्रामपुर झापांक 152/दिनांक 18.02.25 झापांक 185/दिनांक 27.02.25	05	05	-
5	हुसैनाबाद पत्रांक 128/दिनांक 17.02.25	04	06	-
6	लेस्लीगंज झापांक 445, दिनांक 20.02.25	-	-	Jcb के द्वारा अवैध बालू के खनन रोक लगाने हेतु ट्रेंच कटिंग किया गया एवं बैरिकेटिंग करके स्थानीय चौकीदारों को निगरानी प्रतिनियुक्त किया गया।
7	मोहम्मदगंज झापांक 68/दिनांक 27.02.25	-	-	विभिन्न मोड़ पर रात्रि गश्ती के लिए चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गयी है, एवं विभिन्न बालूघाटों पर ट्रेंच कटिंग किया गया है।
8	सतबरवा, झापांक 229, दिनांक 25.04.2025	03	-	ग्राम पौंची, हुड़मुड एवं हलुमांड नदी में ट्रेंच कटिंग किया गया।
9	हरिहरगंज, पत्रांक 182, दिनांक 25.03.2025	-	-	बालूघाट रजवार में बालू परिचालन रास्ते में Jcb के द्वारा ट्रेंच खोद कर परिचालन को अवरुद्ध किया गया है।



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

4.

उपायुक्त महोदय द्वारा शेष सभी अंचल अधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि रात्रि के दौरान नदी जाने वाले रास्तों में बैरिकेटिंग कर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि रात्रि में बालू खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन न हो। सभी अंचल अधिकारी को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि आपसी समन्वय बनाकर अपने अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण पर प्रभावी रोक के साथ-साथ विधि व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिले के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अवैध बालू खनन के बावत चौकसी करते हुए निरंतर छापामारी अभियान चलाना सुनिश्चित करें। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी इसकी समीक्षा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक.....९७०...../एम०, दिनांक...26-04-25....।


प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त,
पलामू।

१७/०४/२५
S.K. SHARAN
Notary Palamu

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह अप्रैल, 2025 एवं मई, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	03	मनातू	01
छतरपुर	09	विश्रामपुर	04
हुसैनाबाद	11	पण्डवा	01
सदर	07	लेस्लीगंज	02
सतबरवा	05	पाटन	04
चैनपुर/रामगढ़	01	मोहम्मदगंज	04
पिपराटाड़/पांकी	02	हैदरनगर	03
हरिहरगंज	13	तरहसी	01
नौडीहा बाजार	03	उटौरी रोड	02
पाण्डू	01	नावा बाजार	03

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन :- 78, कुल प्राथमिकी :- 05, वसुली की गयी दण्ड राशि :- 34.08 लाख रुपये।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- 02

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 16, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 10.31 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

कार्रवाई :- 00

उपायुक्त महोदय द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची के उपस्थित पदाधिकारी को प्रदुषण मानकों की जांचकर जांच प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि मेसर्स सी0सी0एल0 के अध्यक्ष -सह-निदेशक द्वारा राजहारा कोलियरी को शीघ्र चलाये जाने से संबंधित पत्र प्रेषित की गयी है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा मेसर्स सी0सी0एल0 से पत्राचार कर कोलियरी चालू कराये जाने की संभावित तिथि ज्ञात किया जाय।

(अनुपालन:- मेसर्स सी0सी0एल0/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



2.

- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित जिला परिवहन कार्यालय के प्रतिनिधि/मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि ओभरलोड वाहनों एवं विनानम्बर के संचालित वाहनों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाकर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं हुसैनाबाद को खनिजों के अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु अस्थाई चेकनाका स्थापित कर अनुमण्डल स्तर से दण्डाधिकारी का प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं हुसैनाबाद)

- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारी को अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु पूर्व में किये गये ट्रेंच कटिंग का औचक निरीक्षक कर आवश्यकता पड़ने पर और अधिक ट्रेंच कटिंग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)


- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को माननीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में नदियों से बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया। तथा नदी से अवैध बालू खनन पाये जाने पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमवली, 2004 (यथासंशोधित) के तहत प्रदत् शक्ति के तहत अंचल अधिकारी के द्वारा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदय द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि आपसी समन्वय बनाकर अपने अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण पर प्रभावी रोक के साथ-साथ विधि व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।



ज्ञापक.....1595...../एम०, दिनांक...12-06-2025...।


प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


S.K. SHARAN
Chakrapur Palamu


उपायुक्त,
पलामू।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह जून, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जब्त वाहन	अंचल	कुल जब्त वाहन
पिपरा	01	मनातू	01
छतरपुर	00	विश्रामपुर	04
हुसैनाबाद	00	पण्डवा	02
सदर	00	लेस्लीगंज	00
सतबरवा	02	पाटन	06
चैनपुर/रामगढ़	02	मोहम्मदगंज	02
पिपराटाड़/पांकी	01	हैदरनगर	00
हरिहरगंज	03	तरहसी	04
नौडीहा बाजार	00	उटौरी रोड	00
पाण्डू	01	नावा बाजार	01

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हुसैनाबाद, सदर, नौडीहा बाजार, हैदरनगर, उटौरी रोड, लेस्लीगंज, छतरपुर अंचल अंतर्गत माह जून, 2025 में की गयी कार्रवाई शुन्य है। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु संयुक्त रूप से जांचकर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- संबंधित अंचल अधिकारी/संबंधित थाना प्रभारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन:- 15, कुल प्राथमिकी:-08, वसुली की गयी दण्ड राशि:-9.62 लाख रुपये।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- 04

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 18, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 7.89 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

जांच किये गये खनन पट्टों की संख्या :- 38

इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा प्रदुषण विभाग के पदाधिकारी की खोज की गयी। किन्तु प्रदुषण विभाग के कोई पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं पाया गया। इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची को कार्रवाई पृच्छा निर्गत करने एवं इसकी सूचना सदस्य सचिव को प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

2.

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिले में ओभरलोड खनिजों के परिवहन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू एवं अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा बताया गया कि जांच के क्रम में जिले में स्टोन चिप्स खनिजों का ओभरलोड परिवहन नहीं की जा रही है। औचक छापामारी के क्रम में ऐसा पाये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को खनिजों के अवैध परिवहन/ओभरलोड परिचालन पर सख्ती से रोक लगाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:- टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

- बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारी, पिपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अंचल क्षेत्र में अवस्थित खनन पट्टों से परिवहन कर रहे वाहनों की नियमित जांच हेतु अस्थाई चेकनाका बनाकर दण्डाधिकारी की तैनाती किया जाना आवश्यक है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को खनिज बहूल क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अस्थाई चेकनाका स्थापित करते हुए दण्डाधिकारी का प्रतिनियुक्ति कर अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि लेस्लीगंज, पांकी, उटौरी रोड, चैनपुर, हुसैनाबाद से रात्रि में अवैध बालू खनन एवं परिवहन की काफी शिकायतें प्राप्त होती है। जिस पर स्थानीय स्तर से जांचकर रोक लगाना आवश्यक है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि उक्त क्षेत्रों में अवैध बालू के खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु रात्रि में संयुक्त रूप से लगातार छापामारी अभियान चलाकर अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- संबंधित अंचल अधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारी को अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु पूर्व में किये गये ट्रेंच कटिंग का औचक निरीक्षक कर आवश्यकता पड़ने पर और अधिक ट्रेंच कटिंग करने का निदेश दिया गया। तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि कई अंचल अधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन या तो नहीं भेजा जाता है या फिर काफी विलंब से भेजा जाता है। जिसके कारण समेकित प्रतिवेदन तैयार करने एवं विभगा को प्रेषित करने में काफी विलंब होता है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह में की गयी कार्रवाई का संयुक्त प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से आगामी माह के 5वीं तारीख तक जिला खनन कार्यालय, पलामू के ई-मेल (e-mail:-dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

9/10/2019
17/10/2019
Attested
S.K. SHARAN
Deputy Palamau

3.

- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को माननीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में नदियों से बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया। तथा नदी से अवैध बालू खनन पाये जाने पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमवली, 2004 (यथासंशोधित) के तहत प्रदत् शक्ति के तहत अंचल अधिकारी के द्वारा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)


- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि आपसी समन्वय बनाकर अपने अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण पर प्रभावी रोक के साथ-साथ विधि व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेशित किया गया कि जिले में वैध खनन पट्टों/डीलर्स निबंधन के अतिरिक्त कोई खनन कार्य संचालित न हो इस पर प्रभावी निगरानी रखी जाय, तथा बंद खनन पट्टे से अवैध खनन न हो इसकी भी निगरानी रखी जाय।

(अनुपालन:- टास्क फोर्स के सभी सदस्य, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदया द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक...1893...../एम०, दिनांक...19.07.2025

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची व सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।




उपायुक्त,
पलामू।


Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamu

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह जूलाई, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	02	नावा बाजार	03
छतरपुर	02	हुसैनाबाद	03
सदर/शहर	01	सतबरवा	-
पांकी	02	चैनपुर	-
हरिहरगंज	06	मनातू	-
नौडीहा बाजार	04	लेस्लीगंज	-
पाण्डू	01	पाटन/नावाजयपुर	-
विश्रामपुर/रेहला	01	मोहम्मदगंज	-
पण्डवा	01	हैदरनगर	-
उटौरी रोड	02	तरहसी	-

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से जिला खनन कार्यालय, वन प्रमण्डल कार्यालय, परिवहन कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन 35, कुल प्राथमिकी 07, वसुली की गयी दण्ड राशि 20.59 लाख रुपये

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- 01

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 19, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 5.29 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची :-

जांच किये गये खनन पट्टों की संख्या :- अप्राप्त।

उपायुक्त महोदय द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची के क्षेत्रीय पदाधिकारी से जिले में अवस्थित क्रसर एवं खनन पट्टों की जांच के संबंध में पृच्छा की गयी। जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि कई क्रसर एवं खनन पट्टों की जांच की गयी है। किन्तु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची को एक सप्ताह के अंदर की गयी कार्रवाई का समेकित प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, पलामू को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद, रांची)

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

2.

- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित जिला परिवहन कार्यालय के प्रतिनिधि/मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि ओभरलोड वाहनों एवं बिना नम्बर के संचालित वाहनों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाकर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू से पिपरा अंचल में अस्थाई चेकनाका स्थापित करने के संबंध में पृच्छा की गयी।

जिस पर अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर द्वारा बताया गया कि कार्यालय पत्रांक 957, दिनांक 06.08.2025 के द्वारा अस्थाई चेकनाका के लिए कुल 09 दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा अंचल अधिकारी, पिपरा एवं थाना प्रभारी, पिपरा को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से अस्थाई चेकनाका का समय-समय पर औचक निरीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- अंचल अधिकारी, पिपरा एवं थाना प्रभारी, पिपरा)

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से पृच्छा की गयी कि सम्पूर्ण जिले में अवैध बालू खनन पर रोक के लिए अंचल स्तर से अब तक कितने ट्रेंच कटिंग की गयी है। इस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचल स्तर से प्राप्त प्रतिवेदानुसार 17 ट्रेंच कटिंग कर कुल 25 चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को ट्रेंच कटिंग स्थल का विशेष निगरानी करते हुए आवश्यकतानुसार और अधिक ट्रेंच कटिंग अथवा बैरिकेटिंग कर अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू से अनुमण्डल एवं अंचल स्तर से स्थापित अस्थाई चेकनाकों के संबंध में पृच्छा की गयी।

जिस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा अंचल/अनुमण्डल स्तर से प्राप्त प्रतिवेदानुसार अस्थाई चेकनाका स्थल की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	अस्थाई चेकनाका स्थल	पत्रांक/दिनांक
छतरपुर	पिपरा	दमवा मोड़	957, 06.08.2025
	हरिहरगंज	थाना के समीप	499, 23.04.2025
सदर, मेदिनीनगर	तरहसी	बेदानी चौक, मुकुन्दपुर	311, 19.08.2025
	नीलाम्बर-पीताम्बरपुर	बनुआ, सांगबार, जुरु, जैतुखाड़, ईटहे, हरतुआ, खैराठ, ओरिया, शाहद	522, 18.06.2025

कुल 04 अंचलों में 13 स्थानों को चिन्हित कर अस्थाई चेकनाका स्थापित किया

गया है।

उपायुक्त महोदया द्वारा संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निदेशित किया गया कि अस्थाई चेकनाका का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाया जा सके।

(अनुपालन:- संबंधित अंचल अधिकारी, पलामू/संबंधित थाना प्रभारी, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित वैध क्रसरों एवं खनन पट्टों की सूची सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को प्रेषित करते हुए सूची के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित खनन पट्टों/क्रसरों की सूचना प्रदान करने हेतु निदेश दिया गया था। किंतु अब तक अवैध खनन/अवैध भंडारण के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गयी है।

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

3.

बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी से पृच्छा करने पर भी अवैध खनन, अवैध भंडारण एवं अवैध क्रसर संचालन के संबंध में किसी सदस्य के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि जिले में किसी भी स्थान पर अवैध खनन, अवैध भंडारण पाये जाने पर इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, पलामू एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद को भी अविलंब दी जाय।

(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची को निदेश दिया गया कि CTO एवं CTE में अंकित शर्तों की जांच करते हुए इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाय।

(अनुपालन:- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची)

- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को माननीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में नदियों से बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया। तथा नदी से अवैध बालू खनन पाये जाने पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमवली, 2004 (यथासंशोधित) के तहत प्रदत् शक्ति के तहत अंचल अधिकारी के द्वारा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेशित किया गया कि खनिजों के अवैध परिवहन में जब्त वैसे वाहन जो एक से अधिक बार अवैध परिवहन में जब्त हैं, उन्हें सुनवाई कर दण्ड अधिरोपण हेतु विधि शाखा, पलामू को प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन से संबंधित संयुक्त प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से बैठक के पूर्व जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक 2048 / एम०, दिनांक 13-08-25 ।

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस

पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


27/08/25

Attested
S.K. CHARAN
District Palamu


उपायुक्त,
पलामू।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह अगस्त, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जब्त वाहन	अंचल	कुल जब्त वाहन
पिपरा	01	हुसैनाबाद	03
छतरपुर	09	सतवरवा	01
सदर/शहर	04	लेस्लीगंज	01
पांकी/पिपराटाड़	02	पाटन	02
हरिहरगंज	03	मनातू	03
नौडीहा बाजार	04	तरहसी	01
पाण्डू	01	पण्डवा	-
विश्रामपुर/रेहला	01	चैनपुर	-
उटारी रोड	03	मोहम्मदगंज	-
नावा बाजार	03	हैदरनगर	-

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि पण्डवा, चैनपुर, मोहम्मदगंज एवं हैदरनगर अंचल से शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित की गयी है।

जिस पर उपायुक्त महोदया द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में कोई शिथिलता नहीं की जाय। तथा औचक निरीक्षण कर अवैध खनिकर्म के मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- अंचल अधिकारी, पण्डवा, चैनपुर, मोहम्मदगंज एवं हैदरनगर, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण आदि के विरुद्ध की गयी कार्रवाई निम्न प्रकार है :-

जिला खनन कार्यालय, पलामू :-

कुल जप्त वाहन 64, कुल प्राथमिकी 09, वसुली की गयी दण्ड राशि 36.36 लाख रुपये

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-


अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वार्दों की संख्या :- शुन्य

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 21, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 6.40 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

कार्रवाई शुन्य।



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

(Handwritten Signature)

- 2.
- उपायुक्त महोदया द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुपण नियंत्रण पर्यद, रांची के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए जिला खनन पदाधिकारी से संबंधित पदाधिकारी को कारण पृच्छा निर्गत करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)
- उपायुक्त महोदया द्वारा कारखाना निरीक्षक, पलामू के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए जिला खनन पदाधिकारी से संबंधित पदाधिकारी को कारण पृच्छा निर्गत करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू)
- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित जिला परिवहन कार्यालय के प्रतिनिधि/मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि ओभरलोड वाहनों एवं विना नम्बर के संचालित वाहनों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाकर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तथा वाहनों में ओभरलोड खनिज के परिवहन हेतु वाहनों में अवैध रूप से किये गये उंचाई वृद्धि (डाला जोड़कर) के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)
- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को वैध पत्थर खनन पट्टा एवं डीलर्स अनुज्ञप्ति की सूची निर्गत की गयी है। उक्त सूची के अतिरिक्त संचालित अवैध खनन पट्टों/क्रसरों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। किन्तु अब तक किररी भी अंचल/थाना से इस प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है।
इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि जिले में किसी भी स्थान पर अवैध खनन, अवैध भंडारण पाये जाने पर इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, पलामू एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुपण नियंत्रण पर्यद को भी अविलंब देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय।
(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)
- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह का कार्रवाई प्रतिवेदन बैठक के पांच दिन पूर्व अनिवार्य रूप से जिला खनन कार्यालय, पलामू के ई-मेल dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)
- बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया कि ई-चालान का जांच करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण असली एवं नकली चालान की पहचान करने में काफी असुविधा हो रही है।
इस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि झारखण्ड राज्य से निर्गत ई-चालानों की जांच www.mineralsportal.jharkhand.gov.in से की जा सकती है।
(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)
- उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को माननीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में नदियों से बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया। तथा नदी से अवैध बालू खनन पाये जाने पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमवली, 2004 (यथासंशोधित) के तहत प्रदत् शक्ति के तहत अंचल अधिकारी के द्वारा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया।
(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

[Handwritten Signature]


- 3.
- बैठक में उपस्थित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, छतरपुर द्वारा बताया गया कि कई वाहनों द्वारा छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के परिवहन चालानों से स्टोन चिप्स खनिज का परिवहन किया जाता है, जबकि प्राप्त सूचनानुसार खनिज का उठाव पलामू जिले के छोटे क्रसरों से किया जाता है। इस पर जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि ऐसे मामलों संज्ञान में आने पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। औचक निरीक्षण के क्रम में छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के परिवहन चालान पाये जाने पर उनके चालकों से पुछताछ एवं मोबाईल लोकेसन आदि के माध्यम से आवश्यक जांचकर शीघ्र कार्रवाई की जा सकती है।

(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा सभी थाना प्रभारी को अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में दर्ज मामलों पर शीघ्र अनुसंधान कर अवैधकर्ताओं की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय, ताकि अवैध खनिकर्म के मामलों में प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस पर पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा सभी थाना प्रभारी को निदेशित करते हुए संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक को पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी थाना प्रभारी, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक.....2218...../एम०, दिनांक.....13/09/25.....

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल

पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस

पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।




उपायुक्त,
पलामू।


Assisted
S.K. SHARAN
Notary Public

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह सितम्बर, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	01	हुसैनाबाद	00
छतरपुर	05	सतवरवा	02
सदर/शहर	00	लेस्लीगंज	00
पांकी/पिपराटाड़	00	पाटन	00
हरिहरगंज	02	पण्डवा	00
नौडीहा बाजार	00	चैनपुर	01
पाण्डू	00	मनातू	00
विश्रामपुर/रेहला	01	मोहम्मदगंज	00
उटॉरी रोड	00	हैदरनगर	03
नावा बाजार	02	तरहसी	00

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि सदर, पांकी, नौडीहा बाजार, पाण्डू, उटॉरी रोड, हुसैनाबाद, लेस्लीगंज, पाटन, पण्डवा, मनातू, तरहसी एवं मोहम्मदगंज अंचल से शुन्य कार्रवाई प्रतिवेदित की गयी है।

जिस पर उपायुक्त महोदया द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में कोई शिथिलता नहीं की जाय। तथा औचक निरीक्षण कर अवैध खनिकर्म के मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिला/अंचल स्तर से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण आदि के विरुद्ध की गयी कार्रवाई निम्न प्रकार है :-

कुल जप्त वाहन 25, कुल प्राथमिकी 05, वसुली की गयी दण्ड राशि 15.06 लाख रुपये

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-


अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- शुन्य

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 21, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 5.75 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

कार्रवाई शुन्य।



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

2.

- उपायुक्त महोदया द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए निदेश दिया गया कि जिले में अवस्थित सभी क्रसरों एवं खनन पट्टों का निरीक्षण कर प्रदुषण मानकों की जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:- क्षेत्रीय पदाधिकारी, JSPCB, क्षेत्रीय कार्यालय, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित कारखाना निरीक्षक कार्यालय, पलामू के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि जिले में स्थापित सभी क्रसरों के कारखाना अनुज्ञप्ति की जांचकर जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:- कारखाना निरीक्षक, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित जिला परिवहन कार्यालय के प्रतिनिधि/मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि ओभरलोड वाहनों एवं बिना नम्बर के संचालित ट्रैक्टरों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाकर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा बताया गया कि वर्तमान में बालू खनन पर माननीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा लगाये गये रोक की अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु पलामू जिला में कोई भी बालूघाट आवंटित/संचालित नहीं रहने के कारण बालू खनन पर रोक रहेगी। सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को वैध पत्थर खनन पट्टा एवं डीलर्स अनुज्ञप्ति की सूची निर्गत की गयी है। उक्त सूची के अतिरिक्त संचालित अवैध खनन पट्टों/क्रसरों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। किन्तु अब तक किसी भी अंचल/थाना से इस प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि जिले में किसी भी स्थान पर अवैध खनन, अवैध भंडारण पाये जाने पर इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, पलामू एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद को भी अविलंब देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय।

(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा बताया गया कि पलामू जिले में अवैध बालू खनन पर रोक के लिए जिला स्तर से 10 स्थानों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी/दल एवं 03 स्थानों पर चेकपोस्ट चिन्हित कर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तीन पाली में की गयी है इस हेतु गोपनीय शाखा के पत्रांक 733/गो0, दिनांक 15.10.2025 द्वारा आदेश निर्गत है। उक्त आदेश का सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं हुसैनाबाद इस पर निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी संबंधित पदाधिकारी, पलामू जिला)



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamu

3.


➤ जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा अवैध बालू खनन हेतु प्राप्त शिकायतों में वर्णित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार है :-

1. तरहसी अंचल अंतर्गत :- गुरहा, गिसिर पतरा (अमानत नदी),
2. लेस्लीगंज अंचल अंतर्गत :- शाहद, सांगवार, औरिया (अमानत नदी),
3. चैनपुर अंचल अंतर्गत :- कंकारी (कोयल नदी),
4. हैदरनगर अंचल अंतर्गत :- परता, पंसा (सोन नदी)
5. छतरपुर अंचल अंतर्गत :- बटाने (बटाने नदी)
6. सदर अंचल अंतर्गत :- सिंगरा (अमानत नदी), सुआ कौड़िया (कोयल नदी),
दुबियाखाड़, (कोयल नदी)
7. मनातू अंचल अंतर्गत :- गरवट गांव (अमानत नदी)
8. हरिहरगंज अंचल अंतर्गत :- खड़गपुर (बटाने नदी)
9. पाटन अंचल अंतर्गत :- सगुना मोड़, पाटन (जिन्जोई नदी)
10. सतवरवा अंचल अंतर्गत :- लेदवाखाड़ (औरंगा नदी)
11. हुसैनाबाद अंचल अंतर्गत:-दंगवार, देवरी, बड़ेपुर, पथरा
12. मोहम्मदगंज अंचल अंतर्गत :- पंसा, कोल्हुआ, वीरधवर
13. उटोरी रोड अंचल अंतर्गत :- उटोरी रोड, करकटदा

उपायुक्त महोदया द्वारा संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त क्षेत्रों पर निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार ट्रेंच कटिंग कर अवैध बालू खनन पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाई सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक...2379.../एम०, दिनांक...17-10-25...

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



S.K. Sharan
Notary Palamu

Attended
S.K. SHARAN
Notary Palamu


उपायुक्त,
पलामू।



कार्यालय; जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त, पलामू।
(गोपनीय शाखा)

mail ID- dc-pal@nic.in


प्रमाण सं०- 00562-224033 (क)/224044 (आ)

आदेश

विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जिला के विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित बालू घाटों से बालू का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु उक्त बालू घाटों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण आवश्यक है। इसमें अधिकांश शिकायतें हुसैनाबाद अनुमण्डल अंतर्गत स्थित बालू घाटों से प्राप्त हो रही हैं। उपर्युक्त परिस्थिति में हुसैनाबाद अनुमण्डल एवं सदर अनुमण्डल अंतर्गत निम्नांकित

चिह्नित क्षेत्रों से बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने तथा उसकी जाँच हेतु निम्नांकित निरीक्षण दल को स्टैटिक दण्डाधिकारी/दल के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है -

क्र०	प्रखण्ड/ अंचल का नाम	स्थल का नाम जहाँ बालू घाट अवस्थित है	स्टैटिक दण्डाधिकारी का पदनाम	मोबाईल नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	हुसैनाबाद	दंगवार	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद प्रभारी दंगवार ओपी०।	9835514768
02	हुसैनाबाद	देवरी	अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद प्रभारी देवरी ओपी०।	7781961798
03	हुसैनाबाद	बड़ेपुर	कार्यपालक दण्डाधिकारी, हुसैनाबाद। थाना प्रभारी, हुसैनाबाद।	9576508631
04	हुसैनाबाद	पथरा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद थाना स्तर से एक स०अ०नि०	7461894377
05	मोहम्मदगंज	पंशा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहम्मदगंज। थाना प्रभारी, मोहम्मदगंज।	8340697737
06	हैदरनगर	परता	अंचल अधिकारी, हैदरनगर। थाना प्रभारी, हैदरनगर।	8340417801
07	मोहम्मदगंज	कोल्हुआ	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर हैदरनगर थाना से एक स०अ०नि०	7544989551
08	मोहम्मदगंज	वीरधवर	श्री सखीचन्द दास, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मोहम्मदगंज। मोहम्मदगंज थाना से एक स०अ०नि०	7033255884



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau
17.12.2026

09	जैतारी रोड	जैतारी रोड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जैतारी रोड।	9939551902
10	जैतारी रोड	कसरकट्टा	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जैतारी रोड। अंगल अभियन्ता, जैतारी रोड। मोहम्मदगंज थाना से एक रा0310नि0	9931878255

श्री हरेंद्र कुमार गुप्ता, स्थान निरीक्षक एवं पलामू श्री युगम कुमार, खास निरीक्षक, पलामू उपरोक्त दल के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए बालू घाटों के निरीक्षण में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त गठित निरीक्षण दल को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्णित स्थलों में अवस्थित बालू घाटों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए छापागारी अभियान का संचालन करते रहेंगे एवं बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त स्थलों से अन्यत्र जगहों पर परिवहन किये जा रहे अवैध बालू आदि के जाँच हेतु गिम्नांकित स्थलों पर चेकपोस्ट का निर्माण करते हुए पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है -

स्थापित चेकपोस्ट का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम		
	<u>Shift A</u> (From 06.00 am to 02.00 pm)	<u>Shift B</u> (From 02.00 pm to 10.00 pm)	<u>Shift C</u> (From 10.00 pm to 06.00 am)
भीमबराज के पास (मोहम्मदगंज)	श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियन्ता, मनरेगा (मो0-7505706959)	श्री परवेज आलम, राजस्व उप निरीक्षक, मोहम्मदगंज (मो0-6203611996)	श्री वरुण कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, मोहम्मदगंज (मो0-9472725283)
पथरा (हुसैनाबाद)	श्री यशवन्त कुमार, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, हुसैनाबाद। (मो0-9570200994)	श्री जय गोविन्द यादव, बी0टी0एम0, हुसैनाबाद (मो0-9934657435)	श्री विपिन कुमार, कनीय अभियन्ता, (मो0-9304424880 / 6299753906)
दंगवार (हुसैनाबाद)	श्री सोनु सोनल, कनीय अभियन्ता मे0-8252952806	श्री कल्याण प्रसाद, प्रखण्ड समन्वयक। मे0-7974808520	श्री चन्द्रशेखर दुबे, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, हुसैनाबाद। मे0-7004505061

चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निर्धारित समयावधि में चेकपोस्ट पर उपस्थित रहकर अवैध बालू के परिवहन के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुए उसके परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई का साप्ताहिक प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर एवं हुसैनाबाद उपर्युक्त सभी कार्यों का सतत पर्यवेक्षण अपने स्तर से करते हुए बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, पलामू अपने स्तर से गठित निरीक्षण दल -सह- स्टैटिक दण्डाधिकारियों के साथ संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस बल को तथा अधिष्ठापित चेक पोस्टों पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
पलामू।

ज्ञापांक 733 / मो0 दिनांक 15/10/2025

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित रागी थाना प्रगारी एवं ओपीओ प्रगारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद/हैदरनगर/मोहम्मदगंज/ऊँटारी रोड एवं अंचल अधिकारी, पदाधिकारी, हुसैनाबाद/हैदरनगर/मोहम्मदगंज/ऊँटारी रोड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद/विश्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर एवं हुसैनाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/23
उपस्थित,
पलामू।



15/10/23

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamou

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2025 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध माह अक्टूबर, 2025 में अंचल/थाना स्तर से की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलवार कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :-

अंचल	कुल जप्त वाहन	अंचल	कुल जप्त वाहन
पिपरा	02	हुसैनाबाद	-
छतरपुर	05	सतबरवा	02
सदर/शहर	01	लेस्लीगंज	-
पांकी/पिपराटाड़	-	पाटन	04
हरिहरगंज	04	पण्डवा	-
नौडीहा बाजार	01	चैनपुर	06
पाण्डू	01	मनातू	-
विश्रामपुर/रेहला	01	मोहम्मदगंज	-
उटॉरी रोड	-	हैदरनगर	01
नावा बाजार	-	तरहसी	01

बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि पिछले दो बैठको में निदेश दिये जाने के बावजूद पांकी, हुसैनाबाद, लेस्लीगंज, पण्डवा, मनातू एवं मोहम्मदगंज अंचल से अवैध खनन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध शिथिलता बरते जाने के कारण नाराजगी प्रकट करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को विशेष कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:- अंचल अधिकारी, पांकी/हुसैनाबाद/लेस्लीगंज/पण्डवा/मनातू/मोहम्मदगंज, जिला- पलामू)

समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर से की गयी कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार प्रस्तुत की गयी :-

कुल जप्त वाहन 32, कुल प्राथमिकी 04, वसुली की गयी दण्ड राशि 19.30 लाख रुपये

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, पलामू :-

अवैध खनन, परिवहन से संबंधित दायर वादों की संख्या :- 02

जिला परिवहन कार्यालय, पलामू :-

कुल वाहन 23, कुल प्राथमिकी 00, वसुली की गयी दण्ड राशि 5.55 लाख रुपये।

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, रांची :-

जांच किये गये भंडारण अनुज्ञप्ति (क्रसरों) की संख्या :- 08

Notary Palamau
B.K. SHARAN

- उपायुक्त महोदया द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्यद, पलामू को अधिक से अधिक क्रसरों की जांच हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:- क्षेत्रीय पदाधिकारी, JSPCB, क्षेत्रीय कार्यालय, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि कारखाना निरीक्षक, पलामू के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

जिस पर उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित कारखाना निरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि को अगली बैठक के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कारखाना निरीक्षक, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अखवार के माध्यम से पलामू जिले से रात्रि में अवैध पत्थर, कोयला, बालू आदि खनिजों की अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त हो रही है।

जिस पर उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारी, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी को अवैध पत्थर, कोयला, बालू आदि खनिजों के तस्करी/परिवहन की गहनता से जांच करते हुए अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- बैठक में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर द्वारा बताया गया कि पण्डवा मोड़ से हरिहरगंज तक एन0एच0 सड़क के किनारे कई क्रसर संचालित है। जिससे निकला हुआ डस्ट से सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा JSPCB के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पलामू को उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित सभी क्रसरों की जांचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- क्षेत्रीय पदाधिकारी, JSPCB, क्षेत्रीय कार्यालय, पलामू)

जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि स्थानीय सोन नदी, कोयल नदी एवं अमानत नदी के किनारे अवस्थित गांव के ग्रामीणों द्वारा रात्रि में अवैध बालू खनन की शिकायत की जाती है। इस पर स्थानीय स्तर से निगरानी आवश्यक है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने हेतु विशेष कदम उठाते हुए समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि अवैध बालू खनन पर प्रभावी अंकुश लग सके।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, पलामू)

- उपायुक्त महोदया द्वारा जिले में स्थापित अस्थाई चेकपोस्टों के संबंध में संबंधित अंचल अधिकारियों से पृच्छा की गयी। जिस पर सभी अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी चेकपोस्ट कार्यरत है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा सभी संबंधित अंचल अधिकारियों का निदेश दिया गया कि उक्त चेकपोस्टों का औचक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन:- संबंधित अंचल अधिकारी, पलामू)

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को वैध पत्थर खनन पट्टा एवं डीलर्स अनुज्ञप्ति की सूची निर्गत की गयी है। उक्त सूची के अतिरिक्त संचालित अवैध खनन पट्टों/क्रसरों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। किन्तु अब तक किसी भी अंचल/थाना से इस प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निदेश दिया गया कि जिले में किसी भी स्थान पर अवैध खनन, अवैध भंडारण पाये जाने पर इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, पलामू एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद को भी अविलंब देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय।

(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि अंचलों से विहित प्रपत्र में जांच -सह-कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रही है। जिसके कारण विभाग को समेकित प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो रही है। विहित प्रपत्र निम्न प्रकार है।

1. अंचल/थाना का नाम :-
2. माह :-
3. जांच किये गये वाहनों/निरीक्षण की संख्या :-
4. अवैध परिवहन/खनन में जप्त किये गये वाहनों की संख्या :-
5. जप्त वाहनों पर की गयी कार्रवाई :-
6. अंचल में स्थापित अस्थाई चेक पोस्ट की संख्या :-
7. अवैध खनन स्थल की डोजरिंग/ट्रेंच कटिंग की संख्या एवं स्थान :-
8. अन्य :-

उपायुक्त महोदया द्वारा सभी अंचल अधिकारी को उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रत्येक आगामी माह के 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला खनन कार्यालय के ई-मेल आईडी 0- dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू)

- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि जिले में चदरा चिमनी से ईंट निर्माण की सूचना प्राप्त हो रही है। जिस पर संयुक्त कार्रवाई आवश्यक है। इस पर **JSPCB** के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि चदरा चिमनी के माध्यम से ईंट निर्माण के कारण भारी प्रदुषण होने के फलस्वरूप इस पर पर्षद द्वारा रोक लगाया गया है। अतः इस प्रकार के चिमनियों को ध्वस्त किया जाना अनिवार्य है।

इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा संबंधित खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू, **JSPCB** के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पलामू कारखाना निरीक्षक एवं संबंधित अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी को संयुक्त अभियान चलाकर इस प्रकार के चिमनी भट्टों एवं अवैध क्रसरों को ध्वस्त करते हुए संयुक्त रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- सभी सदस्य, जिला खनन टास्क फोर्स, पलामू)



A.K. SHARAN
Notary Public

- उपायुक्त महोदय द्वारा जिले में बिना CTO के संचालित ईट भट्टों पर कानूनी कार्रवाई करने हेतु JSPCB के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पलामू को निदेशित किया गया तथा उनके द्वारा अवैध रूप से उत्खनित मिट्टी के विरुद्ध नियमानुसार दण्ड राशि की वसुली हेतु जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को निदेशित किया गया।


(अनुपालन:- जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/JSPCB के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पलामू)

अन्त में उपायुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।


उपायुक्त,
पलामू।


ज्ञापांक...2158.../एम०, दिनांक...21-11-25...

- प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी सदस्य, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, पलामू/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू/सभी अंचलाधिकारी, पलामू/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
पलामू।




17/11/25



Government of Jharkhand
FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
(Department of Labour, Employment, Training & Skill Development)

LICENCE

Under Rule 4 to 10 of the Jharkhand Factories Rule 1950 and Section 6(1) of the factories Act, 1948

Application ID - FCA25010600024

Licence No - FCA2535800002801

- | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|
| 1. Name of the Factory: | EVERINFRA ENGICON PRIVATE LIMITED | | |
| 2. Licence valid up to : | 31st December 2034 | | |
| 3. Full Address of Factory : | Address: VILL - KAMGARPUR | | |
| | Post Office: | KAMGARPUR | Landmark: |
| | Block: | HUSSAINABAD | Police Station: HUSSAINABAD |
| | State: | JHARKHAND | District: PALAMU |
| | | | PIN Code: 822116 |
| 4. Name of Occupier: | MAYANK YADAV | | |
| 4a. Type of organising body: | PRIVATE LIMITED COMPANY/FIRM/BOARD | | |
| 5. Maximum number of persons to be employed on any day: | 18 | Fee Details: | ₹ 300000 only /- |
| 6. Total installed capacity (Not Exceeding) - | (a.) In Horse Power [Other than (b)] : 685 H.P. | | |
| | (b.) In case of Electricity generating, | | |
| | Generating and Transforming Station: - D.G.SET: 580 K.W. Transformer: 0 K.W. | | |



INSPECTOR OF FACTORIES

DALTONGANJ

Note:

1. This licence will expire on **31st December, 2034**.
2. Nature of Manufacturing process of this Licence is : **STONE CHIPS(CRUSHING OF STONE BOULDER)**.
3. This is a computer generated certificate, does not require any seal.
4. This certificate has been generated on the basis of the information given by the applicant and is valid for the purpose of this act only.



Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamu

25/01/2025



Government of Jharkhand
FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
 (Department of Labour, Employment, Training & Skill Development)

LICENCE

Under Rule 4 to 10 of the Jharkhand Factories Rule 1950 and Section 6(1) of the factories Act, 1948

Application ID - FCA16062900259

Licence No - FCA1635800198301

1. Name of the Factory: **MAA STONE CHIPS**
2. Licence valid up to : **31st December 2021**
3. Full Address of Factory :

Address: AT MAHARJA	Landmark: MAHARJA
Post Office: KUNDRI	Police Station: LESLIGANJ
Block: LESLIGANJ	District: PALAMU
State: JHARKHAND	PIN Code: 822118
4. Name of Occupier: **KISHOR KUMAR SINGH**
- 4a. Type of organising body: **PRIVATE FIRM PROPRIETERSHIP CONCERN**
5. Maximum number of persons to be employed on any day: 20 Fee Details: ₹ 9000 only /-
6. Total installed capacity (Not Exceeding) -
 - (a.) In Horse Power [Other than (b)] : 45 H.P.
 - (b.) In case of Electricity generating,
 Generating and Transforming Station: - D.G.SET: 0 K.W. Transformer: 0 K.W.



SD/-
INSPECTOR OF FACTORIES
 DALTONGANJ
 Approval Date : 10/01/2017

Note:

1. This licence will expire on 31st December, 2021.
2. Nature of Manufacturing process of this Licence is : STONE CHIPS.
3. This is a computer generated certificate, does not require any seal or signature.
4. This certificate has been generated on the basis of the information given by the applicant and is valid for the purpose of this act only.



17/02/2021 Kishor Kumar Singh
 Attested
 S.K. SHARAN
 Notary Palamau



Government of Jharkhand
 FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
 (Department of Labour, Employment, Training & Skill Development)

LICENCE

Under Rule 4 to 10 of the Jharkhand Factories Rule 1950 and Section 6(1) of the factories Act, 1948

Application ID - FCA19080400011

Licence No - FCA1935600064201

ARCON SHIVAJEE INFRA MINES & SERVICES PVT. LTD.

31st December 2028

1. Name of the Factory:
2. Licence valid up to :
3. Full Address of Factory :

Address: MAUZA-MADWA, PO-BABHANDI, PS- CHAPARWAR.	Landmark: MAUZA-MADWA, PO-BABHANDI, PS- CHAPARWAR,
Post Office: BABHANDI	Police Station: CHAPARWAR
Block: PIPRA	District: PALAMU
State: JHARKHAND	PIN Code: 822113
4. Name of Occupier: ARVIND KUMAR SINGH
5. Type of organising body: PRIVATE LIMITED COMPANY/FIRM/BOARD
5. Maximum number of persons to be employed on any day: 9 Fee Details: ₹ 25250 only/-
6. Total installed capacity (Not Exceeding) -
 - (a.) In Horse Power [Other than (b)] : 643 H.P.
 - (b.) In case of Electricity generating
 Generating and Transforming Station: - D.G.SET: 480 K.W. Transformer: 0 K.W.

INSPECTOR OF FACTORIES

DALTONGANJ

Note:

1. This licence will expire on 31st December, 2028.
2. Nature of Manufacturing process of this Licence is : STONE CHIPS.
3. This is a computer generated certificate, does not require any seal.
4. This certificate has been generated on the basis of the information given by the applicant and is valid for the purpose of this act only.



15/12/2026

S.K. SHARAN
 Daltonganj Palamu



Government of Jharkhand
FACTORY INSPECTION DEPARTMENT
(Department of Labour, Employment, Training & Skill Development)

LICENCE

Under Rule 4 to 10 of the Jharkhand Factories Rule 1950 and Section 6(1) of the factories Act, 1948

Licence No - FCA18011100048

Application ID - FCA18011100048

M/S KAMAL STONE CHIPS

31st December 2022

1. Name of the Factory:

2. Licence valid up to :

3. Full Address of Factory :

Address: MANDEYA, PO-CHHATTARPUR, PS-CHHATTARPUR
Post Office: CHHATTARPUR
Block: CHHATTARPUR
State: JHARKHAND

Landmark: CHHATTARPUR
Police Station: CHHATTARPUR
District: PALAMU
PIN Code: 822113

4. Name of Occupier: MOSHARRAF KHAN

4a. Type of organising body: PRIVATE FIRM PROPRIETERSHIP CONCERN


5. Maximum number of persons to be employed on any day: 9 Fee Details: ₹ 2625 only/-

6. Total installed capacity (Not Exceeding) -

(a.) In Horse Power [Other than (b)] : 22 H.P.

(b.) In case of Electricity generating.

Generating and Transforming Station: - D.G.SET: 0 K.W. Transformer: 0 K.W.



INSPECTOR OF FACTORIES

DALTONGANJ

Note:

1. This licence will expire on 31st December, 2022.

2. Nature of Manufacturing process of this Licence is : STONE CHIPS.

3. This is a computer generated certificate, does not require any seal.

4. This certificate has been generated on the basis of the information given by the applicant and is valid for the purpose of this act only.

Signature
19/12/2022

Factory Inspector

Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041110354

Year: 2018

1. Name of Dealer (in full) : MS JAI MATA STONE CRUSHER PRO RAMPRAWESH PRASAD
2. Full Address(with Residential proof) : MAUZA-BARDIHA,PO-CHARAI,PS-CHATTARPUR,PLOT NO-596,KHATA NO-14,AREA-0.54 ACRE,PALAMAU,JAHARKHAND.822113
3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : SRI RAJESHWAR SAW

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/103541805	NDA10752/2018	BARDIHA CHATTARPUR PLOT NO 596 KHATA NO 14 AREA 0.54 ACRE PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	SPECIFIC PURPOSE
1	NDA/103541805	NDA10752/2018	BARDIHA CHATTARPUR PLOT NO 596 KHATA NO 14 AREA 0.54 ACRE PALAMAU	PROCESSING UNIT(C1 - Procurement, storage for processing & sale (Crusher Unit))

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/103541805	NDA10752/2018	STONE DUST, STONE (CHIPS), STONE

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/103541805	NDA10752/2018	STONE	MS MAA STONE WORKS PRO SRI SUSHIL KUMAR SINGH AND PARTNER MAUZA DAMDAMI BOUGHT THE STONE FOR PROCESSING UNIT
2	NDA/103541805	NDA10752/2018	STONE (CHIPS)	MS MAA STONE WORKS PRO SRI SUSHIL KUMAR SINGH AND PARTNER MAUZA DAMDAMI BOUGHT THE STONE FOR PROCESSING UNIT
3	NDA/103541805	NDA10752/2018	STONE DUST	MS MAA STONE WORKS PRO SRI SUSHIL KUMAR SINGH AND PARTNER MAUZA DAMDAMI BOUGHT THE STONE FOR PROCESSING UNIT

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/103541805 -- 24 May 2018

11. Condition imposed by Licensing authority

- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

01/06/2018
Date of grant

As it is a system generated document no need of signature



Handwritten signature: S.K. Sharma

Handwritten date: 01/06/2018

Certificate of Dealer Registration**FORM 'B'****[Rule-4]**

Mineral Dealer Regn. No. J041111317

Year: 2018

1. Name of Dealer (in full) : MS JAI MAA SATCHANDI STONE CRUSHER PRO BIRBAL YADAV
 Full Address(with Residential proof) : MOUZA-BARDIHA,PO-CHHATTARPUR, PLOT NO-597, KHATA NO-21, AREA-0.50 ACER, PALAMAU,JHARKHAND, 822113
 3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : BALKESWAR YADAV

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/113171808	NDA11918/2018	BARDIHA PL NO 597 A 0.50 AC CHATTARPUR PALAMU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	SPECIFIC PURPOSE
1	NDA/113171808	NDA11918/2018	BARDIHA PL NO 597 A 0.50 AC CHATTARPUR PALAMU	PROCESSING UNIT(C1 - Procurement, storage for processing & sale (Crusher Unit))

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/113171808	NDA11918/2018	STONE DUST, STONE (CHIPS), STONE

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/113171808	NDA11918/2018	STONE	MS SONA STONE CHIPS PROP SRI NANDLAL PRASAD MOUZA KARMAKALA KHATA NO 32 PLOT NO 608 610 IS BOUGHT THE STONE FOR PROCESSING UNIT
2	NDA/113171808	NDA11918/2018	STONE (CHIPS)	MS SONA STONE CHIPS PROP SRI NANDLAL PRASAD MOUZA KARMAKALA KHATA NO 32 PLOT NO 608 610 IS BOUGHT THE STONE FOR PROCESSING UNIT
3	NDA/113171808	NDA11918/2018	STONE DUST	MS SONA STONE CHIPS PROP SRI NANDLAL PRASAD MOUZA KARMAKALA KHATA NO 32 PLOT NO 608 610 IS BOUGHT THE STONE FOR PROCESSING UNIT

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/113171808 -- 16 Aug 2018

11. Condition Imposed by Licensing authority

i. The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.

ii. The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.

iii. The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.

iv. The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.

v. The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.

vi. No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.

vii. This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

06/12/2018

Date of grant

Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041114287

Year: 2019

- 1. Name of Dealer (in full) : MS MAA BINDHYAWASINI STONE CHIPS CRUSHER PRO R K S
- 2. Full Address(with Residential proof) : RAKESH KUMAR SINGH,SO-AWDHABIHARI SINGH,VILL-NAUDIHA KHAJURI,PS-CHATTARPUR,MAUZA-BARDIHA,PO-CHARAI,PS-CHATTARPUR,KHATA NO-25,PLOT NO-600 P,AREA-0.48 ACRE,PALAMAU,JHARKHAND,822113
- 3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : AWADH BIHARI SINGH

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#	Application No	Reference No	Location
1	NDA/142871903	NDA15093/2019	BARDIHA CHARAI KHATA NO 25 PLOT NO 600 P AREA 0.48 ACRE CHATTARPUR PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/142871903	NDA15093/2019	BARDIHA CHARAI KHATA NO 25 PLOT NO 600 P AREA 0.48 ACRE CHATTARPUR PALAMAU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/142871903	NDA15093/2019	STONE, STONE (CHIPS), STONE DUST

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/142871903	NDA15093/2019	STONE	VALID AND LEGAL SOURCE
2	NDA/142871903	NDA15093/2019	STONE (CHIPS)	VALID AND LEGAL SOURCE
3	NDA/142871903	NDA15093/2019	STONE DUST	VALID AND LEGAL SOURCE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application : NDA/142871903 – 11 Mar 2019 for this Registration

11. Condition imposed by Licensing authority

- i. The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- ii. The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- iii. The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- iv. The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- v. The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- vi. No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- vii. This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.



Handwritten signature and date 17/05/2019

As it is a system generated document no need of signature

Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041115644

Year: 2020

1. Name of Dealer (in full) : MS GUPTA STONE CHIPS PRO M PRASAD AND PATNER
 2. Full Address(with Residential proof) : MAYANAND PRASAD,SO-RAMJI SAW,VILL-JAURA,PO-MANJHAULI,PS-CHATTARPUR,PALAMAU AND PATNER, MAUZA-BARDIHA,PO-CHATTARPUR,PS-CHATTARPUR,PLOT NO-597,KHATA NO-21,AREA-0.40 AC,PALAMAU,JHARKHAND,822113
 3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : MS GUPTA STONE CHIPS PRO M PRASAD AND PATNER

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/156442001	NDA16489/2020	BARDIHA CHATTARPUR PALAMAU JHARKHAND

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/156442001	NDA16489/2020	BARDIHA CHATTARPUR PALAMAU JHARKHAND	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/156442001	NDA16489/2020	STONE, STONE (CHIPS), STONE DUST

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/156442001	NDA16489/2020	STONE	VALID AND LEGAL SOURCE
2	NDA/156442001	NDA16489/2020	STONE (CHIPS)	VALID AND LEGAL SOURCE
3	NDA/156442001	NDA16489/2020	STONE DUST	VALID AND LEGAL SOURCE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/156442001 -- 11 Jan 2020

11. Condition imposed by Licensing authority :

i. The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.

ii. The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.

iii. The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.

iv. The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.

v. The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.

vi. No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.

vii. This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

10/02/2020

Date of grant

Attested
S.K. SHARAN
Ministry Palamau

As it is a system generated document no need of signature

Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041115058

Year: 2020

1. Name of Dealer (in full) : JAI MAA LILORI STONE CRUSHER
2. Full Address (with Residential proof) : DEEPAK KUMAR SO-UDAY SHANKAR PRASAD VILL-CHERAI ,PS-CHHATTARPUR,PALAMAU MOUZA-CHERAI PS-CHHATTARPUR, PLOT NO-673,KHATA NO-08 AREA-1.00 ACRE,PALAMAU JHARKHAND
3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : JAI MAA LILORI CRUSHER

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#	Application No	Reference No	Location
1	NDA/150581909	NDA15893/2019	CHERAI PS CHHATTARPUR PLOT NO 673 KHATA NO 08 AREA 1.00 ACRE PALAMAU JHARKHAND

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/150581909	NDA15893/2019	CHERAI PS CHHATTARPUR PLOT NO 673 KHATA NO 08 AREA 1.00 ACRE PALAMAU JHARKHAND	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/150581909	NDA15893/2019	STONE, STONE (CHIPS), STONE DUST

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/150581909	NDA15893/2019	STONE	VALID AND LEGAL SOURCE
2	NDA/150581909	NDA15893/2019	STONE (CHIPS)	VALID AND LEGAL SOURCE
3	NDA/150581909	NDA15893/2019	STONE DUST	VALID AND LEGAL SOURCE


9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/150581909 – 12 Sep 2019

11. Condition imposed by Licensing authority

- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.



17/10/2020
Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

As it is a system generated document no need of signature

Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041115277

Year: 2019

1. Name of Dealer (in full) : MS VAISHNO MATA STONE CHIPS CRUSHER PRO PAPPU KUMAR
2. Full Address(with Residential proof) : PAPPU KUMAR, SO-KAPILDEV SINGH, VILL-MASIHANI, PS-CHATTARPUR, PALAMAU, 822113, MAUZA-CHARAI, PO-CHARAI, PS-CHATTARPUR, PLOT NO-673, KHATA NO-08, AREA-0.50 AC, PALAMAU, JHARKHAND, 822113
3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : KAPILDEV SINGH

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/152771910	NDA16112/2019	CHARAI CHATTARPUR PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/152771910	NDA16112/2019	CHARAI CHATTARPUR PALAMAU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/152771910	NDA16112/2019	STONE, STONE (CHIPS), STONE DUST

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/152771910	NDA16112/2019	STONE	VALID AND LEGAL SOURCE
2	NDA/152771910	NDA16112/2019	STONE (CHIPS)	VALID AND LEGAL SOURCE
3	NDA/152771910	NDA16112/2019	STONE DUST	VALID AND LEGAL SOURCE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/152771910 -- 27 Dec 2019

11. Condition imposed by Licensing authority

- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

S.K. Sharan
 31/12/2019
 Date of grant

As it is a system generated document no need of signature

Sharan
 Attested
 S.K. SHARAN
 Notary Palamau

Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041121027

Year: 2022

1. Name of Dealer (in full) : MAHADEVA STONE CHIPS CRUSHER
 2. Full Address(with Residential proof) : BASANT KUMAR GUPTA,SO-LALAN PRASAD GUPTA,VILL-CHATTARPUR,PO-CHATTARPUR,PS-CHATTARPUR,PALAMAUMAUAZA-BARDIHA,PO-CHARAI,PS-CHATTARPUR,PLOT NO-597,KHATA NO-21,AREA-0.48 AC,PALAMAU,JHARKHAND,822113
 3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : LALAN PRASAD GUPTA

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/210272203/1	NDA22242/2022	BARDIHA CHARAI CHATTARPUR PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/210272203/1	NDA22242/2022	BARDIHA CHARAI CHATTARPUR PALAMAU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/210272203/1	NDA22242/2022	STONE DUST, STONE (CHIPS), STONE

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/210272203/1	NDA22242/2022	STONE	VALID LEGAL AND REGISTERED LEASE
2	NDA/210272203/1	NDA22242/2022	STONE (CHIPS)	VALID LEGAL AND REGISTERED LEASE
3	NDA/210272203/1	NDA22242/2022	STONE DUST	VALID LEGAL AND REGISTERED LEASE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA


10. No. and date of application for this Registration : NDA/210272203/1 -- 08 Mar 2022

11. Condition imposed by Licensing authority

- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.
- The Dealer shall submit the monthly returns and other reports, as directed within the stipulated time.
- The Dealer License shall be valid subject to getting all statutory clearances and compliances,as applicable.

27/06/2022

Date of grant



Certificate of Dealer Registration

FORM 'B'

[Rule-4]



Mineral Dealer Regn. No. J041123679

Year: 2023

1. Name of Dealer (in full) : MS MAA STONE CRUSHER PRO KRISHNA PRASAD SAHU
2. Full Address (with Residential proof) : VILL-CHARAI , PO-CHARAI , PS-CHHATARPUR , MAUZA-CHARAI , PLOT NO- 673 , KHATA NO-08 , DIST- PALAMU , PIN CODE-822113
3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : BHAGWAN SAHU

4. Profession of the dealer : BUSINESS

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/236792302/1	NDA25587/2023	MAUZA CHARAI PO CHARAI PS CHHATARPUR PLOT NO 673 KHATA NO 08 PALAMU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/236792302/1	NDA25587/2023	MAUZA CHARAI PO CHARAI PS CHHATARPUR PLOT NO 673 KHATA NO 08 PALAMU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/236792302/1	NDA25587/2023	STONE, STONE (CHIPS), STONE DUST

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/236792302/1	NDA25587/2023	STONE	VALID ALL SOURCE
2	NDA/236792302/1	NDA25587/2023	STONE (CHIPS)	VALID ALL SOURCE
3	NDA/236792302/1	NDA25587/2023	STONE DUST	VALID ALL SOURCE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/236792302/1 -- 15 Feb 2023

11. Condition imposed by Licensing authority

- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.
- The Dealer shall submit the monthly returns and other reports, as directed within the stipulated time.
- The Dealer License shall be valid subject to getting all statutory clearances and compliances, as applicable.
- The dealer shall ensure that storage of mineral must be within the area mentioned in the License.
- Any mineral stored outside the licensed area will be treated illegal, the dealer will be solely responsible for the same.

16/03/2023

Date of grant

As it is a system generated document no need of signature

Signature
 Attested
 S.K. SHARMA
 Notary Palamu

Certificate of Dealer Registration**FORM 'B'****[Rule-4]**

Mineral Dealer Regn. No. J041114741

Year: 2019

1. Name of Dealer (in full) : MS ASHOK KUMAR SINGH PRO ASHOK KUMAR SINGH
 2. Full Address(with Residential proof) : ASHOK KUMAR SINGH,SO-RAM BACHAN SINGH,REHLA KHURD,BISHRAMPUR,PALAMAU,822124
 3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : RAM BACHAN SINGH

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading) :

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/147411906	NDA15551/2019	BARDIHA CHARAI CHATTARPUR PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted :

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/147411906	NDA15551/2019	BARDIHA CHARAI CHATTARPUR PALAMAU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license :

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/147411906	NDA15551/2019	STONE DUST, STONE (CHIPS), STONE

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured :

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/147411906	NDA15551/2019	STONE	REGISTERED AND VALID LEASE
2	NDA/147411906	NDA15551/2019	STONE (CHIPS)	REGISTERED AND VALID LEASE
3	NDA/147411906	NDA15551/2019	STONE DUST	REGISTERED AND VALID LEASE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration :

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/147411906 -- 28 Jun 2019

11. Condition imposed by Licensing authority :


- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

05/09/2019

Date of grant

Attested
S.K. SHARAN
Notary Palamau

As it is a system generated document no need of signature

Certificate of Dealer Registration**FORM 'B'****[Rule-4]**

Mineral Dealer Regn. No. J041107854

Year: 2019

1. Name of Dealer (in full) : MS MAA SERAWALI STONE CHIPS PRO MANOJ KUMAR GUPTA
 2. Full Address(with Residential proof) : MANOJ KUMAR GUPTA, S O-LATE GURU SAW, VILL-KERKIKHURD, PO-CHARAI, PS-CHATTARPUR, PALAMAU, JHARKHAND, 822113
 3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : GURU SAW

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	LDA/078541812	LDA13692/2018	MAUZA-BARDIHA CHARAI, CHATTARPUR, PL NO-600, KH NO-25, AREA-0.40 AC, PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	SPECIFIC PURPOSE
1	LDA/078541812	LDA13692/2018	MAUZA-BARDIHA CHARAI, CHATTARPUR, PL NO-600, KH NO-25, AREA-0.40 AC, PALAMAU	PROCESSING UNIT(C1 - Procurement, storage for processing & sale (Crusher Unit))

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	LDA/078541812	LDA13692/2018	STONE, STONE (CHIPS), STONE DUST

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	LDA/078541812	LDA13692/2018	STONE	VALID LESSEE
2	LDA/078541812	LDA13692/2018	STONE (CHIPS)	VALID LESSEE
3	LDA/078541812	LDA13692/2018	STONE DUST	VALID LESSEE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application : LDA/078541812 -- 05 Dec 2018 for this Registration

11. Condition imposed by Licensing authority

- The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.
- The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.
- The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.
- The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.
- The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.
- No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.
- This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

24/01/2019

Approved
S.K. CHARAN
Nagpur Palamau

Certificate of Dealer Registration**FORM 'B'****[Rule-4]**

Mineral Dealer Regn. No. J041116167

Year: 2020

1. Name of Dealer (in full) : MS SAHARA STONE CHIPS PROP ALLIMUDDIN ANSARI
2. Full Address(with Residential proof) : ALLIMUDDIN ANSARI,SO-JAMIRUDDIN ANSARI,MURUMDAG,PALAMAU,MAUZA-MURUMDAG,PO-MUNKERI,PS-CHATTARPUR,KHATA NO-16,PLOT NO-877,AREA-0.55 ACRE,PALAMAU,822113
3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : JAMIRUDDIN ANSARI

4. Profession of the dealer : PROCEESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading)

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/161672007	NDA17004/2020	MURUMDAG CHATTARPUR KH NO 16 PLOT NO 877 AREA 0.55 ACRE PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/161672007	NDA17004/2020	MURUMDAG CHATTARPUR KH NO 16 PLOT NO 877 AREA 0.55 ACRE PALAMAU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/161672007	NDA17004/2020	STONE DUST, STONE (CHIPS), STONE

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/161672007	NDA17004/2020	STONE	VALIED AND LEGAL SOURCE
2	NDA/161672007	NDA17004/2020	STONE (CHIPS)	VALIED AND LEGAL SOURCE
3	NDA/161672007	NDA17004/2020	STONE DUST	VALIED AND LEGAL SOURCE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/161672007 -- 02 Jul 2020

11. Condition imposed by Licensing authority

i. The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.

ii. The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.

iii. The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.

iv. The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.

v. The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.

vi. No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.

vii. This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

13/07/2020

Date of grant

As it is a system generated document no need of signature

Certificate of Dealer Registration**FORM 'B'****[Rule-4]**

Mineral Dealer Regn. No. J041115614

Year: 2020

1. Name of Dealer (in full) : MS RAVINDRA KUMAR SINGH PROP RAVINDRA KUMAR SINGH
2. Full Address(with Residential proof) : RAVINDRA KUMAR SINGH,SO-HUSAINI SINGH,VILL-CHATTARPUR,MAUZA-MURUMDAG,KHATA NO-16,PLOT NO-877,AREA-0.50 ACRE,PO-CHATTARPUR,PS-CHATTARPUR,PALAMAU,822113
3. Father's Name in full (in case of firm, give names and address of partners and person holding powers of attorney to act on behalf of the firm) : HUSAINI SINGH

4. Profession of the dealer : PROCESSING UNIT

5. Specific place or places of business (Processing / storing / Selling / Trading) :

Sl#.	Application No	Reference No	Location
1	NDA/156141912	NDA16452/2019	MURUMDAG CHATTARPUR PLOT NO 877 KHATA NO 16 AREA 0.50 ACRE PALAMAU

6. Specific purpose for which Registration is granted :

SL#.	APPLICATION NO	REFERENCE NO	LOCATION	Specific Purpose
1	NDA/156141912	NDA16452/2019	MURUMDAG CHATTARPUR PLOT NO 877 KHATA NO 16 AREA 0.50 ACRE PALAMAU	PROCESSING

7. Name of mineral/ore covered under the license :

Sl#.	Application No	Reference No	Mineral
1	NDA/156141912	NDA16452/2019	STONE DUST, STONE (CHIPS), STONE

8. Name and Address of persons/firms from whom the mineral/ore will be purchased/procured :

Sl#.	Application No	Application ref	Mineral	Consent Source
1	NDA/156141912	NDA16452/2019	STONE	VALID AND LEGAL SOURCE
2	NDA/156141912	NDA16452/2019	STONE (CHIPS)	VALID AND LEGAL SOURCE
3	NDA/156141912	NDA16452/2019	STONE DUST	VALID AND LEGAL SOURCE

9. If it is a case of re-registration/re-activation enter the number and date of grant of the original registration :

NA

10. No. and date of application for this Registration : NDA/156141912 -- 04 Jan 2020

11. Condition imposed by Licensing authority :

i. The Dealer shall abide by all terms and conditions of "The Jharkhand Minerals" (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, and other guiding acts, rules and laws applicable for mineral dealer.

ii. The Dealer shall have to procure minerals from valid and legal sources.

iii. The Dealer shall have to maintain proper accounts of procurement and sale of minerals with proof.

iv. The Dealer shall have to permit any authorized officer of the Department to enter in their premises for verification of minerals stack and beneficiation/processing plant and also permit to take sample.

v. The Dealer shall abide by all the executive orders issued by the Department to maintain the conditions of these rules.

vi. No storage and processing of mineral to be carried out without a valid CTO and dealer will abide by all the terms and conditions of CTO.

vii. This license is being issued based on self attested documents uploaded by the applicant with the application for registration. If at any stage any document/information is found incorrect or wrong the license to be liable to be rejected and further penal actions will be taken as per the rule.

13/05/2020

Date of grant

As it is a system generated document no need of signature